

#### \*प्रश्न:- RGHS कटौती के बारे में जानकारी दीजियै। ( FAQ नए आदेश दिनांक 19/04/2022 के संदर्भ में)\*

(1) क्या RGHS की कटौती सभी के लिए अनवार्य रूप से होगी?

उत्तर:-वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19/04/2022 के अनुसार माह अप्रैल 22 के वेतन से RGHS की कटौती अनिवार्य रूप से होगी।

(2) प्रोबेशन वाले कार्मिको के कटौती किस बेसिक के आधार पर होगी ?

उत्तर:- प्रोबेशनर कार्मिको के RGHS की कटौती उनके Entry pay level की बेसिक के अनुसार होगी।

(3) पत-िपत्नी दोनों राजकीय सेवा में तो क्या दोनो के RGHS की कटौती होगी जबकि RGHS कार्ड एक ही बना हुआ है ?

उत्तर:- अब सभी के लिये RGHS कटौती को अनिवार्य कर दिया गया है अतः पति-पत्नी दोनों के RGHS की कटौती होगी।

(4) मेरे पहले से RGHS कटौती नहीं हो रही है तो क्या मुझे अप्रैल 22 के वेतन से कटौती करवाने हेतु कोई विकल्प पत्र भर कर देना होगा ?

उत्तर:-माह अप्रैल 22 के वेतन से सभी के RGHS की कटौती अनिवार्य कर दी गई है अतः अब कोई विकल्प भर कर देने की आवश्यकता नही है।

(5) मेरी नियुक्ति 2004 के बाद कि हे तथा मेरी बेसिक 65200 है एवम RGHS की कटौती 440 रु हो रही है नए आदेश अनुसार मेरे RGHS की अब कटौती कितनी होगी ?

उत्तर:- नए आदेश के अनुसार 2004 के बाद वालो एवम पुराने GPF कार्मिको के लिए RGHS की कटौती की अब एक ही स्लैब निर्धारित कर दी गई है।

अब आपके इस स्लैब अनुसार 875 रु की कटौती होगी।

(6) मेरी नियुक्ति 1/01/2004 के बाद की है एवं मेरे RGHS की कटौती पहले नहीं हो रही थी एवम मैं अब भी RGHS की कटौती नहीं करवाना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ।

उत्तर:-आदेश के अनुसार अब सभी कार्मिकों के लिए RGHS की कटौती करना अनिवार्य है आपके नहीं चाहने पर भी नियमानुसार RGHS की कटौती होगी।

(7) मेरे पहले RGHS की कटौती नहीं हो रही है नए आदेश के अब सभी के RGHS की कटौती अनवािर्य हो गई है तो क्या जुलाई 21 से मार्च 22 तक का बकाया RGHS कटौती का एरियर भी काटा जाएगा?

उत्तर:- नए आदेश के अनुसार माह अप्रैल 22 के बिल से सभी के RGHS की मासिक कटौती करने के निर्देश है एरियर काटने के बारे में कोई निर्देश नहीं है।

(8) 7 वे वेतनमान के अनुसार अब RGHS कटौती की दर क्या रहेगी ?

उत्तर:-वित्त विभाग के आदेश 19/04/2022 के अनुसार सातवे वेतनमान में वेतन आहरति करने वाले कार्मिको के निम्न दर से RGHS की कटौती होगी।

- 1 pay matrix up to 18000 265/-Rs
- 2 pay matrix 18001 to 33500 440/-Rs
- 3• pay matrix 33501 to 54000 658/-Rs
- 4- pay matrix above 54000 875/-Rs
- \*नोट:-(1) Nic जयपुर के वीडियों के अनुसार यदि कर्मिकों के डेटा PM में प्रॉपर भरे हुए है तो RGHS की कटौती सिस्टम द्वारा पे मैनेजर पर ऑटो अपडेट होगी Ddo को कटौती मैनुअली अपडेट नहीं करनी है केवल कटौती की जांच करनी है ।\*
- \*(2) सिस्टम द्वारा किसी की RGHS कटौती सही अपडेट नहीं हुई है तो Ddo अपने स्तर से कार्मिक की RGHS कटौती को स्लैंब के अनुसार सही अपडेट कर देवे।\*

#### RGHS राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

🗖 अनिता चौधरी

RGHS अर्थात् राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य के समग्र स्वास्थ्य देखभाल और विकास के दृष्टिकोण से राज्य चिकित्सा सुविधाओं की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को RGHS के रूप में पुनर्गठित किया है। यह योजना पूर्व में विद्यमान भामाशाह स्वास्थ्य योजना का रूपांतरित रूप है और केंद्र सरकार की केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) पर आधारित है। राजस्थान सरकार, वित्त विभाग द्वारा राज्य के माननीय मंत्री गण, माननीय विधायक गण, माननीय पूर्व विधायक गण, न्यायायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य सेवा के सेवारत कार्मिक, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को राजस्थान के राजकीय एवं चयनित निजी अस्पतालों में RGHS द्वारा कैशलेस इंडोर, डे-केयर तथा आउटडोर चिकित्सा, जाँच एवं परामर्श की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ प्राप्त होगी। राज्य सरकार की इस बहुआयामी स्वास्थ्य योजना से संपूर्ण राज्य के लगभग 13 लाख परिवारों के लगभग 67.5 लाख लाभार्थियों को आजीवन नि:शुल्क ईलाज की सुविधा मिलेगी। RGHS योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से की गई। इस योजना में लाभार्थी बनने के लिए RGHS के वेब पोर्टल http://rghs.rajasthan.gov.in/ RGHS/home पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

- 1. जनाधार
- एम्प्लॉइ आइ डी / पी पी ओ नम्बर RGHS पर पंजीकरण किस प्रकार करें:-
- RGHS को जन आधार से लिंक किया गया है इसलिए पहले जनाधार होना अनिवार्य है यदि जनाधार नहीं है तो पहले जन आधार बनवाना होगा।
- एक जन आधार से एक परिवार का पंजीयन हो सकेगा। यदि एक जन आधार में 1 से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं तो पहले परिवार के अनुसार पृथक-पृथक जन आधार कार्ड बनवाना होगा।
- 3. जिनके पास भामाशाह कार्ड बना हुआ है तो उनका जन आधार, भामाशाह कार्ड से ऑटोजेनरेट हो जाएगा।

- जन आधार कार्ड संख्या प्राप्त होने के पश्चात सेवारत कर्मचारी अपने SSO-ID को लॉगिन करें एवं गवर्नमेंट ऐप में RGHS सेलेक्ट कर अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करें।
- 5. पेंशनर्स जिनकी SSO-ID पहले से बनी हुई है वे अपनी SSO-ID लॉगइन कर सिटीजन ऐप में RGHS पर अपना पंजीकरण करेंगे।
- 6. पुराने पेंशनर्स जिनकी SSO-ID नहीं बनी हुई है वे पहले अपनी SSO-ID क्रिएट करेंगे उसके बाद ही RGHS में पंजीकरण करें।
- 7. पेंशनर्स विभाग द्वारा भी कई सेवानिवृत्त कार्मिकों का RGHS में ऑटो रिजस्ट्रेशन कर दिया गया है। इसे चेक करने के लिए आप अपने PPO नंबर एवं सेवानिवृत्ति वर्ष की सहायता निम्न प्रकार ले सकते हैं-

माना आपके PPO नंबर 402060 हैं और सेवानिवृत्ति वर्ष 2019 है तो आपकी SSO-ID होगी- PPO नंबर सेवानिवृत्ति वर्ष सेवानिवृत्ति वर्ष सेवानिवृत्ति वर्ष सेवानिवृत्ति वर्ष इसी प्रकार पासवर्ड होगा- (PPO नंबर) (सेवानिवृत्ति वर्ष) (सेवानिवृत्ति वर्ष) इसे निम्न प्रकार अप्लाई कर सकते हैं SSO-ID- 40206020192019 पासवर्ड- 40206020192019

RGHS में पंजीकरण के बाद e-card ऑप्शन से अपना e-card डाउनलोड कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। पंजीकरण सम्बन्धी समस्याओं का समाधान:-

- 1. यदि पति-पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो एक जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय दूसरे को रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल कर सकता है।
- 2. यदि पित और पत्नी दोनों सेवारत कर्मचारी हैं तो एक ही जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं अर्थात् दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय दूसरे को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल कर सकता है।
- यदि पित व पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर है एवं एक सेवारत कर्मचारी है तो एक ही

प्रकाशन तिथि २ मार्च, २०२२

जन आधार के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं अर्थात् दोनों में से किसी एक का पंजीकरण करते समय दूसरे को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी/पेंशनर प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल कर सकते हैं।

4. माता या पिता में से एक या दोनों सेवारत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है तो इस स्थिति में माता-पिता अलग जनाधार से पंजीकरण करेंगे और पुत्र पृथक से अपना जनाधार बनवाकर पंजीकरण करेगा।

5. माता-पिता में से एक या दोनों सेवारत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है तो इस स्थिति में भी माता-पिता अलग जनाधार से पंजीकरण करेंगे और पुत्री पृथक से अपना जनाधार बनवाकर पंजीकरण करेंगी।

6. माता-पिता में से कोई भी कर्मचारी/ पेंशनर्स नहीं है जबिक पुत्र-पुत्री/दो पुत्र/ दो पुत्री में दोनों ही राज्य कर्मचारी हैं तो इस स्थिति में पुत्र-पुत्री / दो पुत्र / दो पुत्री दोनों का अलग-अलग जन आधार से पंजीकरण होगा। पुत्री या पुत्र दोनों में से कोई एक माता-पिता को अपनी RGHS फैमिली में शामिल कर सकता है।

 RGHS कार्ड में लाभार्थी का नाम, जन्म दिनांक या अन्य सूचना गलत होने पर पहले जन आधार में शुद्ध करवानी होगी उसके पश्चात RGHS कार्ड में शुद्धिकरण होगा।

RGHS फैमिली से अभिप्राय है कि लाभार्थी के पति/पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष से कम आयु की दो संतान एवं माता-पिता जो कर्मचारी के पदस्थापन स्थान पर रहते हों और जिनकी मासिक आय <6000 से कम हो।

RGHS की मुख्य विशेषताएँ-

- 1 जुलाई, 2021 से पात्र लाभार्थियों को इस स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 13.5 लाख परिवारों के लगभग 67.5 लाख लाभार्थियों को इन्डोर, डे-केयर, आउटडोर, मातृत्व चिकित्सा, कोविड-19, ब्लैक फंगस और अन्य सामान्य व गंभीर बीमारियों हेतु आजीवन कैशलेस चिकित्सा सेवा सलभ होगी।
- । जनवरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों को राज मेडिक्लेम पॉलिसी में बने रहने या RGHS में लाभार्थी होने के लिए दोनों में से किसी एक के चयन का विकल्प देना होगा और यदि वे RGHS योजना में सम्मिलित

होने का विकल्प देते हैं तो उनके वेतन से प्रतिमाह पे-मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित अंशदान राशि जो बहुत न्यून है, की कटौती की जाएगी।

- । जनवरी, 2004 के बाद में नियुक्त राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को RGHS में पंजीकरण करवाने पर सामान्य बीमारी हेतु 5 लाख < और गंभीर बीमारी हेतु अतिरिक्त 5 लाख < तक का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष, प्रति परिवार किया जाएगा और 20 हजार < प्रतिवर्ष, प्रति परिवार आउटडोर चिकित्सा हेतु देय होंगे अर्थात् इस धनराशि की सीमा में कर्मचारी । वर्ष में कितनी भी बार नि:शुल्क चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकता है।
- यदि पित-पत्नी दोनों । जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं तो RGHS पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि दोनों कटौती करवाते हैं तो दोनों को दो RGHS काडों पर 5-5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का अलग-अलग लाभ मिलेगा। यदि दोनों में से एक कटौती करवाना चाहता है तो RGHS फैमिली के अनुसार दोनों को एक ही RGHS कार्ड पर 5 लाख < के स्वास्थ्य बीमा का सम्मिलित लाभ मिलेगा। पित-पत्नी में से जो विकल्प देगा उसी के वेतन से कटौती होगी।
- जो मेडिक्लेम ही रखना चाहते हैं उन्हें RGHS पर पंजीकरण अनिवार्य है बाद में वे राज-मेडिक्लेम का विकल्प दे सकते हैं।
- परीवीक्षाधीन कर्मचारी भी निर्धारित अंशदान कटौती के दायरे में शामिल हैं। उन्हें भी RGHS के सभी लाभ देय होंगे।
- 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्ति प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त पेंशनर्स, सेवानिवृत्ति के अंतिम माह में लागू पे-मैट्रिक्स के अनुसार एक साथ 10 वर्ष के अंशदान की कटौती कराने पर आजीवन सुविधा के साथ इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- 1 जनवरी, 2004 से पहले नियुक्त कार्मिक जिनका RGHS खाता है उनके लिए RGHS पर पंजीकरण व मासिक कटौती अनिवार्य है। वे विकल्प नहीं दे सकते। इनके लिए जो कटौती RPMF के नाम से होती थी, उसे अब RGHS में बदल दिया गया है। दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पहले से सेवारत कर्मचारी एवं पेंशनर्स के लिए पहले से जारी RPMF को RGHSF में परिवर्तित कर दिया गया है।
- RGHS योजना में उपचार की एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और

सिद्धा (आयुष) प्रणाली के अंतर्गत चिकित्सा, परामर्श व उपचार मान्य होगा।

 GPF कार्मिकों अर्थात् 1 जनवरी,
 2004 से पूर्व के कार्मिकों हेतु RGHS अनिवार्य है जबिक 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए मेडिक्लेम और RGHS में से विकल्प चुनने का अवसर है।

 सेवारत GPF कार्मिकों एवं पेंशनर्स को RGHS के तहत सामान्य बीमारी हेतु
 ताख < और गंभीर बीमारी हेतु अतिरिक्त 5 लाख < तक का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष, प्रति परिवार किया जाएगा और असीमित आउटडोर चिकित्सा सुविधा देय होगी।

 कर्मचारी एवं उनके आश्रित लाभार्थी राजकीय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में इलाज करवा सकते है परन्तु आपातकालीन परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में भी यह सुविधा देय हो सकती है।

 RGHS के तहत जन आधार कार्ड में विवरण न होने पर भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाज का भी प्रावधान है।

सारांशतः RGHS सभी कर्मचारियों के लिए एक वरदान के समान है। क्योंकि पहले RPMF और मेडिक्लेम जैसी योजनाओं में चिकित्सकीय पुनर्भरण की प्रक्रिया में बिल बनाना, 90 दिन की समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करना और चिकित्सा के बहुत समय बाद तक राशि का पुनर्भरण न होना आदि अनेक समस्याएँ आती थी जिसके कारण 95% कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा पाते थे परंतु RGHS में इन सभी समस्याओं का निवारण है। हमें सिर्फ अनुमोदित अस्पताल में अपना RGHS कार्ड लेकर जाना है और हमारा चांछित इलाज पूर्ण रूप से कैशलेस और समस्या रहित होगा।

बहुत सी बीमा कंपनियां आउटडोर, रूटीन चेकअप, डे केयर और लाइफ सपोर्ट मशीनों का खर्च आदि को अपने बीमा प्लान में शामिल ही नहीं करती जिससे संबंधित स्वास्थ्य बीमा-धारक को मानसिक व आर्थिक परेशानी होती है परंतु RGHS द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा में इन सभी चीजों को शामिल किया गया है ताकि राज्य का प्रत्येक कर्मचारी पूर्ण स्वस्थ रहे और पूर्ण मनोयोग से अपनी सेवाएँ राज्य हित में प्रदान कर सके।

प्राध्यापक राजकीय मोहता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़, चूरू (राज.)-331023 मो: 7073047980

#### GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE (Insurance) DEPARTMENT

F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II

Jaipur, dated: 0 7 JUL 2021

#### **ORDER**

Sub: Subscription to the Rajasthan Government Health Scheme Fund.

Ref: Finance (Insurance) Department notification No. 5(5)FD/Insurance/2020 dated 9-4-2021 and FD (Rules) Memorandum No. F.1(4)FD/Rules/2021 dated 15-04-2020.

In pursuance of the provisions at point No. 1 of the aforesaid notification dated 9-4-2021 and para 10 of Memorandum dated 15-04-2020, the Governor is pleased to order that the rates of subscription to the Rajasthan Government Health Scheme Fund will be as under:

Employees who are drawing pay in the prescribed levels in the Pay Matrix as prescribed under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017–

S. N.	Category of Government Servants	Subscription per month (Rs) for the Government servant appointed before 1-1-2004	Subscription per month (Rs) for the Government servant appointed on or after 1-1-2004
1	2	3	4
1	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix upto Rs. 18000/-	265.00	135.00
2	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs. 18000/- but upto Rs.33500/-	440.00	220.00
3	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs.33500/- but upto Rs.54000/-	658.00	330.00
4	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs.54000/-	875.00	440.00



#### Note:-

- 1. This order shall come into force from 1-7-2021 i.e. subscription shall be commenced from the salary for the month of July, 2021 payable on 1st August, 2021.
- 2. Employees who were recruited on or after 1-1-2004 will have option either to continue with Raj Mediclaim Policy or to register themselves in RGHS as new beneficiary. In case they opt to register themselves in RGHS, then they will have make subscription on the rates as mentioned in Column No. 4 of above table
- 3. Retired employees who were recruited on or after 1-1-2004 will have to make subscription on the monthly rate or make one time subscription for 10 years for life time validity on the rates as mentioned in Column No. 4 of above table.
- 4. Subscription in RGHS fund shall be made in Budget Head 8342-00-120-(69) of RGHS.

By order of the Governor,

(Naresh Kumar Thakral)

Special Secretary, Finance (Exp.)

#### Copy forwarded to the-

- 1. Secretary to Hon'ble Governor.
- 2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
- 3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
- 4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
- 5. Sr. D.S. to Chief Secretary.
- 6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
- 7. All Heads of the Departments.
- 8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
- 9. Director, State Insurance and Provident Fund Department.
- 10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
- 11. All Treasury Officers.
- 12. All Sections of the Secretariat.
- 13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
- 14. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
- 15. Technical Director, Finance Department (Computer Cell).
- 16. Guard File.

#### Copy also to the -

- 1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
- 2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
- 3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
- 4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur,

Joint Secretary, 67/7/202 FD (Insurance)

#### राजस्थान सरकार

## राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(आरजीएचएस)

डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005 email: add.dir.rghs@rajasthan.gov.in फोन:- 0141-2744570

क्रमांकःएफ.1 (२४०)/मेडि/जीआईएस/आरजीएचएस/२०–२1/ 1/70

दिनांकः 17-7-21

समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।

विषय:- मेडिक्लेम पॉलिसी के आई कार्ड जारी करने बाबत।

महोदय,

. उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) का प्रथम चरण 01 जुलाई, 2021 से आरम्भ कर दिया गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा जारी राज मेडिक्लेम एवं अन्य मेडिक्लेम पॉलिसी हेतु आई कार्ड जारी करने की व्यवस्था को समाप्त कर, निर्देशित किया जाता हैं कि समस्त लाभार्थियों को RGHS में समाहित करने हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावेगी। अतः साबीनि मुख्यालय एवं समस्त राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला कार्यालयों द्वारा पुनर्भरण दावे अब RGHS ई कार्ड के माध्यम से सब्मिट किये जा सकेंगे।

> अति. निदेशक (आरजीएचएस) वित्त भवन, जयपुर।

क्रमांकःएफ.1 (२४०)/मेडि/जीआईएस/आरजीएचएस/२०-२1/ ८२। प्रतिलिपि:

दिनांकः 13-7-21

(1) निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, मुख्यालय, जयपुर

(2) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (आरजीएचएस) वित्त भवन, जयपुर।





#### कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्तभवन, जनपथ, जयपुर

email add dir rghs@rajasthan gov in website https://www.rghs.rajasthan.gov.in

Ph. No 0141-2744570

क्रमांक:- एफ1 (268)/आरजीएचएस/फण्ड मैनेजमेंट/2021-22/726-7.33

दिनांक:- 1२-08-२०२।

#### परिपत्र-3

विषय :- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में अंशदान की कटौती के संबंध में।

वित्त (बीमा) विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 PartII Jaipur दिनांक 07-07-2021 एवं स्पष्टीकरण आदेश क्रमांक प.5(5)वित्त /बीमा / 2020 पार्ट ।। जयपुर दिनांक 20.07.2021 के क्रम में परिवीक्षाधीन कार्मिकों के राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल होने हेतु जुलाई देय अगस्त 2021 के वेतन से उनकी निर्धारित पे—मेट्रिक्स के अनुसार प्रतिमाह अंशदान की कटौतीं की जानी थी। परन्तु ध्यान में आया है कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पे-मेट्रिक्स के स्थान पर उनके नियत वेतन के आधार पर अंशदान की कटौती की गयी हैं। अतः ऐसे परिवीक्षाधीन कार्मिक जिनके जुलाई देय अगस्त 2021 के वेतन से पे-मेट्रिक्स के स्थान पर नियत वेतन के आधार पर कटौती की गई है, के जुलाई माह के शेष अंशदान की राशि अगस्त देय सितम्बर 2021 के अंशदान के साथ की जावे।

वे कार्मिक जो निर्धारित पे-मेट्रिक्स के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देकर RGHS का लाभार्थी बनना चाहते है एवं उनके द्वारा अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को सहमति पत्र दिये जाने के पश्चात् भी RGHS में कटौती नहीं हो पाई है उन कार्मिकों के जुलाई देय अगस्त 2021 के वेतन से की जाने वाली RGHS अंशदान की कटौती अगस्त देय सितम्बर 2021 के अंशदान के साथ की जावे।

> (शिप्र विक्रम) परियोजना निदेशक (RGHS) वित्त भवन, जयपुर।

क्रमांक:- एफ1 (268)/आरजीएचएस/फण्ड मैनेजमेंट/2021-22/7-२६-7-33 प्रतिलिपिः

दिनांक:- 12-08- २०२१

- 1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय जयपुर।
- 2. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
- समस्त अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग।
- समस्त विभागाध्यक्ष।
- 6. समस्त कोषाधिकारी।
- 7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
- 8. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (RGHS) वित्त भवन, जयपुर।

राजस्थान सरकार

# कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(आरजीएचएस)

डी—ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005 email: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in फोन:- 0141-2744570

क्रमांकःएफ.1 (२४०) / आरजीएचएस / २०२१ /

दिनांक:

#### परिपत्र 1

विषय:- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में पंजीयन के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के बजट भाषण 2021 के बिन्दु संख्या 244, "Central Government Health Scheme (CGHS) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी–निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की मैं, घोषणा करता हूँ।", की अनुपालना में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण का आरम्भ दिनांक 01.07.2021 से कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में माननीय मंत्रीगण, माननीय भूतपूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, अखिल भारतीय और न्यायिक सेवा के अधिकारी, 01.01.2004 के पूर्व और पश्चात नियुक्त सेवारत कार्मिक एवं 01.01.2004 के पूर्व नियुक्त और अब सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए पूर्व के चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी रूल्स एवं रेगुलेशन्स अब आरजीएचएस में निहित कर दिये गये हैं, अतः आरजीएचएस वेबपोर्टल पर पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है।

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.5 (5) वित्त / बीमा / 2020 पार्ट –॥ जयपुर दिनांक 07.07.2021 में आरजीएचएस की कटौती राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 और इसके समान पे-मेट्रिक्स में वेतन पर निम्नलिखितानुसार सारिणी-। में निर्धारित की गयी है:-

#### सारिणी - ।

क्र. सं.	राज्य कार्मिक की श्रेणी	01.01.2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹)	01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹)
1	2	3	4
1	कार्मिक जो पे—मेट्रिक्स में ₹ 18000/- तक वेतन आहरित कर रहे हैं।	265.00	135.00
2	कार्मिक जो पे—मेट्रिक्स में ₹ 18000/- से 33500/- वेतन आहरित कर रहे हैं।	440.00	220.00
3	कार्मिक जो पे—मेट्रिक्स में ₹ 33500/- से 54500/- वेतन आहरित कर रहे हैं।	658.00	330.00
4	कार्मिक जो पे—मेट्रिक्स में ₹ 54500/- से अधिक वेतन आहरित कर रहे हैं।	875.00	440.00



#### 1. 01.01.2004 से नियुक्त कार्मिकों के वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौती:--

दिनांक 01.01.2004 से नियुक्त कार्मिकों को चिकित्सा व्यय के लाभ पूर्व में राजमेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे हैं। वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.5 (5) वित्त /बीमा / 2020 पार्ट—॥ जयपुर दिनांक 07.07.2021 में ही इन कार्मिकों को आरजीएचएस में अंशदान या राजमेडिक्लेम का विकल्प दिया गया है।

वे कार्मिक जो राजमेडिक्लेम को चुनते हैं उनके लिए बीमाधन पूर्व की भांति ₹ 3.00 लाख रहेगा और चिकित्सा सुविधा कैशलेस प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि कार्मिक द्वारा आरजीएचएस अथवा राजमेडिक्लेम दोनों में से किसी भी योजना को चुनने पर आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कार्मिक को इसके लिए इस परिपत्र के संलग्न विकल्प पत्र अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

वे कार्मिक जो आरजीएचएस अंशदान का विकल्प पत्र भरकर अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को देंगे उनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारिणी—। के कॉलम 4 के आधार पर बजट मद 8342—00—120—(69) में की जावेगी व इन कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के तहत ₹ 5 लाख कैशलेस इनडोर / डे—केयर (₹ 20,000 / — तक ओपीडी) एवं अतिरिक्त ₹ 5 लाख गम्भीर बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय होगी।

#### 2. अखिल भारतीय व न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरजीएचएस अंशदान की कटौती:-

अखिल भारतीय सेवा व न्यायिक सेवा के अधिकारीगण पर राजस्थान सिविल सेवा (मेडिकल अटेंडेस) रूल्स, 2013 चिकित्सा नियम लागू हैं और इनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारिणी—। के कॉलम 3 के अनुसार बजट मद 8342—00—120—(69) में की जावेगी।

#### 3. 01.01.2004 के बाद नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरजीएचएस अंशदान:-

ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 या उसके बाद हुई थी और अब सेवानिवृत्त हो गये हैं, उन्हें मासिक आधार पर अंशदान या जीवन पर्यन्त आरजीएचएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष के बराबर एकमुश्त अंशदान निम्न सारिणी—॥ के अनुसार बजट मद 8342—00—120—(69) में करना होगा:—

#### सारिणी—॥

क्र.सं.	सेवानिवृत्त कार्मिक को वेतन पे–मेट्रिक्स (01.01.2004 या उसके पश्चात नियुक्त)	01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए	0
		मासिक अंशदान (₹)	एकमुश्त अंशदान (₹)
1	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे–मेट्रिक्स में ₹ 18000 / – तक वेतन आहरण	135.00	135 × 120 = 16200
2	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे—मेट्रिक्स में ₹ 18000 / — से 33500 / — वेतन आहरण	220.00	220 × 120 = 26400
3	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे–मेट्रिक्स में ₹ 33500/– से 54500/– वेतन आहरण	330.00	330 × 120 = 39600
4	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे–मेट्रिक्स में ₹ 54500 / – से अधिक वेतन आहरण	440.00	440 × 120 = 52800

(शिप्रा विक्रम) परियोजना निदेशक (RGHS) वित्त भवन, जयपुर क्रमांकःएफ.1 (२४०)/आरजीएचएस/२०२1/ 480 - 84/ प्रतिलिपिः

दिनांकः 14.07.2021

(1.)

निजी सहायक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, मुख्यालय, जयपुर अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग सम्भाग एवं जिला (2.)

समस्त विभागाध्यक्ष (3.)

समस्त कोषाधिकारी (4.)

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी (5.)

रक्षित पत्रावली। (6.)

> (शिष्रा विक्रम) परियोजना निदेशक (RGHS) वित्त भवन, जयपुर



#### **GOVERNMENT OF RAJASTHAN**

Office of the Project Director, State Insurance & P.F. Department

(Rajasthan Government Health Scheme)

2nd Floor, D-Block, Vitta Bhawa, Janpath, Jaipur

email: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in Phone: 0141-2740219 website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in

#### **OPTION FORM FOR OPTING RGHS**

l,	(Name)	(Post and Office),
	opt to avail medical facilities under RG	
	nthly pay bill deduction for RGHS (Fernment from time to time	fund) as per prescribed pay
reimbursement of exp myself and my family	nat once above option is exercised, benses incurred by me on medical at members under RCS (MA) Rules, 20 and by SIPF department.	ttendance and treatment of
	Signature	of the Government Servant
	Name of the emp	oloyee :
	Employee Id	
	Designation	

Department.....

37× 982

C:\Users\LENOVO\Desktop\pooran\option form for RGHS.docx

#### GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)

11 6 JUL 2021

#### No. F. 1(10)FD/Rules/2015

Jaipur, dated:

#### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, 1951, namely:-

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Rajasthan Service (First Amendment) Rules 2021.
- (2) They shall come into force with immediate effect.
- **2. Amendment of rule 21A.-** The existing rule 21A of the Rajasthan Service Rules, 1951 shall be substituted by the following, namely:-
  - "21A. A Government servant may be required to subscribe to Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) in accordance with such rules as the Government may by order prescribe."

By order of the Governor,

(Dr. Prithvi)

Secretary, Finance (Budget)

#### Copy forwarded to the -

- Secretary to Hon'ble Governor
- 2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister
- 3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
- 4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government
- 5. Senior DS to Chief Secretary
- 6. Accountant General, Rajasthan, Jaipur
- 7. All Heads of the Departments
- 8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
- Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office
- 10. All Treasury Officers
- 11. All Sections of the Secretariat
- 12. Administrative Reforms (Gr.7)
- 13. Vidhi Rachana Sanghthan for Hindi translation
- 14. Technical Director, Finance Department (Computer Cell)
- 15. Guard File

#### Copy also to the -

- Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
- 2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur
- 3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur

Joint Secretary to the Government





#### राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त / बीमा / 2020 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 20.07.2021

#### स्पष्टीकरण-आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 द्वारा **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य** योजना (आरजीएचएस) की अंशदान कटौती दरें निर्धारित की गयी हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:-

- 1. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 के पश्चात हुई है, को राज मेडिक्लेम पॉलिसी जारी नहीं की जाती है बिल्क ये अधिकारी अपने संबंधित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं और इनसे आरपीएमएफ के अंशदान की राशि प्राप्त की जाती है। अतः उक्त अधिकारियों के संबंध में समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 के कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित दर ही लागू होगी, अर्थात जो पूर्व में आरपीएमएफ के अन्तर्गत कटौती थी, वहीं अब आरजीएचएस लागू होने से आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत की जायेगी।
- 2. परिवीक्षाधीन कार्मिकों के संबंध में GPF और State Insurance की कोई कटौती नहीं होती है। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरान्त ही कटौती की जाती है, परन्तु परिवीक्षाधीन अविध में राज मेडिक्लेम की सुविधा देय है। अतः आदेश दिनांक 07.07.2021 में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के अनुसार आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत कटौती की जानी है। इस हेतु परिवीक्षाधीन कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं, उस पद की पे—मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लेब में, जो कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर लागू है, उक्त आदेश के नोट संख्या 2 का विकल्प देते हुए कटौती की जानी है।

समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 में उल्लेखित वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम संख्या एफ 1 (4) वित्त / नियम / 2021 की दिनांक 15.04.2020 को दिनांक 15.04.2021 पढ़ा जावे।

यह स्पष्टीकरण वित्त (नियम) विभाग से **बारकोड़ संख्या 322100247 दिनांक** 19.07.2021 पर प्राप्त परामर्श के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(वेद प्रकाश गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव





#### प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
- 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान।
- 3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय।
- 4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
- 5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
- 6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष।
- 8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
- 9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपूर।
- 10. निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
- 11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर।
- 12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
- 13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 14. विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर।
- 15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग)
- 16. रक्षित पत्रावली।

#### प्रतिलिपि अन्य को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
- 2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव





### राजस्थान सरकार

# कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005 email:pd.rghs@rajasthan.gov.in

Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/4506

Date: 20/0//2023

# परिपत्र - 10

विषय:-राज्य कर्मियों के आरजीएचएस में अंशदान के संबंध में ।

वित्त (बीमा) विभाग का आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Pt II Jaipur, संदर्भ :-दिनांक 19.04.2022 एवं स्पष्टीकरण आदेश F.5(5)FD/Insurance/2021 Pt II, दिनांक 20.07.2021 |

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022 की पालना में दिनांक 01.04.2022 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू होने के पश्चात राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को भी 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करवायी जा रही है। जिसके संबंध में वित्त (बीमा) विभाग का आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Pt II Jaipur, दिनांक 19.04.2022 द्वारा राज्यकर्मियों का आरजीएचएस में अंशदान निर्धारित किया गया है। प्रायः यह देखने में आया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश में निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं की जा रही है, जोकि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है।

साथ ही वित्त (बीमा) विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 20.07.2021 से स्पष्ट है की कार्मिक के परिवीक्षा काल में अंशदान कटौती नियत वेतनमान के स्थान पर जिस मूल वेतन पर नियुक्ति हुई है, के निर्धारित स्लैब के अनुसार की जानी है।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन नियमित / परिवीक्षाधीन राज्यकर्मियों की वेतन शृंखला (स्लैब) के अनुसार वेतन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Part II दिनांक 19.04.2022 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही जिन कार्मिकों की पूर्व में अंशदान की कटौती नियमानुसार नहीं हुई है, उनकी बकाया अंशदान राशि एरियर Paymanager/PRI Paymanager के माध्यम से माह फरवरी देय मार्च 2023 के वेतन के साथ जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिन कार्मिकों का वेतन Paymanager/PRI Paymanager से आहरित होता है, उनकी आरजीएचएस कटौतियां / एरियर ई-ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी।

कार्मिकों की अंशदान की कटौती राशि निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं होने की स्थिति में, ऐसे कार्मिकों के आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिये जायेगें, जिसके अभाव में वे योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं कार्मिक की होगी।

> (कल्पना अग्रवाल) निदेशक. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग





# No:F.1(240)RGHS/C/22-23/

Date:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय), शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4. निजी सचिव, निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा / पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 8. समस्त विभागाध्यक्ष।
- 9. समस्त वरि० अति० / अति० निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय।
- 10. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग।
- 11. विशेषाधिकारी, आरजीएचएस, जयपुर।
- 12. संयु0 परि० निदेशक (सा०प्र० / सतर्कता / क्लेम यूनिट), आरजीएचएस, जयपुर।
- 13. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालयों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि लाभार्थियों की सुलभता हेतु इस परिपत्र को कार्यालय में चस्पा करावे।
- 14. लेखा शाखा, आरजीएचएस।
- 15. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 16. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आरजीएचएस को भेजकर लेख है कि इसे आरजीएचएच पोर्टल पर अपलोड करावें।
- 17. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी राजस्थान।
- 18. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
- 19. प्रभारी, 181 आरजीएचएस हेल्पलाइन, वित्त भवन, जयपुर।
- 20. रक्षित पत्रावली।

(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

#### राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांकः प.5(5)वित्त / बीमा / 2022पार्ट-- । ।

जयपूर, दिनांक 19.04.2022

#### आदेश

विषय: राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि में अभिदाय।

संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 एवं 07.09.2021।

वित्त विभाग के दिनांक 07.07.2021 एवं 07.09.2021 के समसंख्यक आदेशों के सदर्भ में राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि में अभिदाय की दरें निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए निम्नानुसार होंगी:—

i. राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों जो, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन यथा विहित वेतन मैट्रिक्स में तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के समरूप वेतनमान संरचना में, वेतन आहरित कर रहे है,—

क्रम सं.	सरकारी कर्मचारियों का प्रवर्ग	प्रतिमास अभिदाय (रु.)
1	2	3
1.	18000 / — रु. तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	265.00
2.	18000 / – रु. से अधिक किन्तु रु. 33500 / – रु. तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	
3.	33500/-रु. से अधिक किन्तु रु. 54000/- रु. तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	1 Option 1997
4.	54000/— रु. से अधिक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	875.00

ii. राज्य सरकार के उन समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो राजस्थान सिबिल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अधीन विहित चालू वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के समरूप वेतनमान संरचना में, वेतन आहरित कर रहे है,—

क्रम सं.	सरकारी कर्मचारियों का प्रवर्ग	प्रतिमास अभिदाय (रु.)
1	2	3
1.	7000 / - रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	265.00
2.	7000 / – रु. से अधिक किन्तु रु. 13000 / – रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	
3.	13000/-रु. से अधिक किन्तु रु. 21000/- रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	
4.	21000/— रु. से अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	875.00

ा। राज्य सरकार के उन समस्त कर्मचारियों के लिए जो, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 में और 01.01.2006 से पूर्व वेतनमानों नियमों के अधीन, वेतन आहरित कर रहे

क्रमः सं.	सरकारी कर्मचारियों का प्रवर्ग	प्रतिमास अभिदाय (रु.)
1	2	3
1.	3000 / – रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	265.00
2.	3000 / – रु. से अधिक किन्तु रु. 6000 / – रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	
3.	6000 / — रु. से अधिक किन्तु रु. 9000 / — रु. तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	658.00
4.	9000 / — रु. से अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	875.00

यह आदेश दिनांक 01.04.2022 से प्रवृत होगा अर्थात् अभिदाय, 1 मई 2022 को संदेय, माह अप्रैल, 2022 के वेतन से प्रारम्भ किया जायेगा।

> (नरेश कुमार ठकराल) शासन सचिव, वित्त (व्यय)

#### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान ।
- 2. प्रमुख संचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
- 3. समिरत विशिष्ट सहायक / निजी सिचव माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय।
- 4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट सचिव।
- वरिष्ठं उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार ।
- 6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष ।
- ह.निवेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित (उपकोष कार्यालयों हेतु)
- उप निदेशक (सांख्यकी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 10. समस्त कोषाधिकारी ।
- 11. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय
- 12 प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग ।
- 13 विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर।
- 14 तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर
- 15. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान जयपुर।
- रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर ।
   सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर ।





#### राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त / बीमा / 2020 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 20.07.2021

#### स्पष्टीकरण-आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 द्वारा **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य** योजना (आरजीएचएस) की अंशदान कटौती दरें निर्धारित की गयी हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:-

- 1. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 के पश्चात हुई है, को राज मेडिक्लेम पॉलिसी जारी नहीं की जाती है बिल्क ये अधिकारी अपने संबंधित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं और इनसे आरपीएमएफ के अंशदान की राशि प्राप्त की जाती है। अतः उक्त अधिकारियों के संबंध में समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 के कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित दर ही लागू होगी, अर्थात जो पूर्व में आरपीएमएफ के अन्तर्गत कटौती थी, वहीं अब आरजीएचएस लागू होने से आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत की जायेगी।
- 2. परिवीक्षाधीन कार्मिकों के संबंध में GPF और State Insurance की कोई कटौती नहीं होती है। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरान्त ही कटौती की जाती है, परन्तु परिवीक्षाधीन अविध में राज मेडिक्लेम की सुविधा देय है। अतः आदेश दिनांक 07.07.2021 में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के अनुसार आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत कटौती की जानी है। इस हेतु परिवीक्षाधीन कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं, उस पद की पे—मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लेब में, जो कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर लागू है, उक्त आदेश के नोट संख्या 2 का विकल्प देते हुए कटौती की जानी है।

समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 में उल्लेखित वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम संख्या एफ 1 (4) वित्त / नियम / 2021 की दिनांक 15.04.2020 को दिनांक 15.04.2021 पढ़ा जावे।

यह स्पष्टीकरण वित्त (नियम) विभाग से **बारकोड़ संख्या 322100247 दिनांक** 19.07.2021 पर प्राप्त परामर्श के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(वेद प्रकाश गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव





#### प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
- 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान।
- 3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय।
- 4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
- 5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
- 6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष।
- 8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
- 9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपूर।
- 10. निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
- 11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर।
- 12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
- 13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 14. विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर।
- 15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग)
- 16. रक्षित पत्रावली।

#### प्रतिलिपि अन्य को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
- 2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

#### राजस्थान सरकार

# राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

क्रमांकः एफ.1 (240)जीआईएस/मेडि/आरजीएचएस/2020-21/

दिनांक

#### निर्देश

विषयः राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में लाभार्थियों का पंजीकरण ।

राजस्थान—सरकार के वित्त (बीमा) विभाग ने राज्य के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य सरकार के सेवारत कार्मिक, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से कैशलेस इन्डोर, डे—केयर तथा आउटडोर चिकित्सा, चिकित्सा जांच एवं परामर्श की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने के लिए अधिसूचना संख्या 5 (5) एफडी / बीमा / 2020 जयपुर, दिनांक 09.04.2021 जारी की है। योजना में लाभार्थी सेवारत कर्मियों के लिए पंजीकरण http://rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/Registration पर दिनांक 10.04.2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है जिस पर दिनांक 30.04.2021 तक पंजीकरण करवाया जाना है।

#### पंजीकरण की प्रक्रियाः

पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जनाधार होना आवश्यक है। (जनाधार हेतु मुखिया की बैंक पास बुक, सभी सदस्यों की फोटो एवं आधार कार्ड आवश्यक है।)

- 1. लाभार्थी सर्वप्रथम Single Sign On (SSO) www.sso.rajasthan.gov.in पर log in करेगा / करेगी।
- 2. लॉग-इन होने पर स्क्रीन पर RGHS का icon प्रदर्शित होगा, जिसे क्लिक करेगा / करेगी।
- 3. यहां पर कार्मिक से जनाधार नम्बर के बारे में पूछा जाएगा। कार्मिक को Yes या No विकल्प मिलेगा।

यदि लाभार्थी के पास जनाधार नम्बर है तो Yes विकल्प का चयन कर आगे बढेगा। यदि उसने जनाधार नहीं बनवाया है तो पहले ई-मित्र से जनाधार पंजीकरण संख्या या जनाधार पंजीयन रसीद प्राप्त करेगा/ बनवाएगा, पंजीकरण संख्या या जनाधार प्राप्त हो जाने पर फिर से SSO पर लॉग-इन कर Yes विकल्प का चयन कर आगे बढेगा।

कार्मिक के लिए जनाधार पंजीकरण की सुविधा RGHS पोर्टल पर भी दी गयी है। ई-मित्र पर जाने के बजाय RGHS पोर्टल पर भी जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कार्मिक को No विकल्प का चयन करना होगा। No विकल्प का चयन करने पर कार्मिक के लिए जनाधार का फॉर्म खुलेगा जिसकी पूर्ति एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात सम्मिट करने पर जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। अब कार्मिक Yes विकल्प का चयन कर आगे बढ सकता है।

4. लाभार्थी Yes विकल्प का चयन कर जनाधार विवरण उपलब्ध कराएगा/कराएगी जिसे जारी करने पर व्यक्ति के जनाधार परिवार का विवरण प्रदर्शित होगा। यहां पर कार्मिक पहले अपना चयन कर जारी करेगा/करेगी।

18

- 5. Drop down सूची से अपने वर्ग (Category) का चुनाव करेगा / करेगी और अपनी एम्प्लॉवी आई डी डालकर उसकी पुष्टि करेगा/करवाएगा, करेगी/करवाएगी और जारी रखेगा/रखेगी।
- 6. कार्मिक अपने RGHS परिवार के सदस्यों को RGHS गाईडलाईन के अनुसार सुनिश्चित करेगा/ करेगी और प्रत्येक सदस्य से सम्बन्धित विवरण को दर्ज करेगा / करेगी। RGHS के अन्तर्गत पात्र सदस्यों का चयन कर लिए जाने पर जारी करेगा/करेगी।
- 7. जारी रखने के बाद सदस्यों का विवरण प्रदर्शित होगा जिसे कार्मिक उसके नीचे घोषणा को चिन्हित कर सब्मिट करेगा/करेगी।
- कार्मिक / लाभार्थी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। कार्मिक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वह RGHS की गाईड लाईन्स के अनुसार ही पात्र सदस्यों का चुनाव कर रहा है। (सुलभ संदर्भ हेतु फ्लो चार्ट

पंजीकरण की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये विना शीघ्र ही लाभार्थी द्वारा की गई कार्यवाही के बाद में पोर्टल पर एक साथ भार उत्पन्न नहीं होगा एवं असुविधा से बचा जा सकेगा।


> निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विमाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.1 (२४०)जीआईएस/मेडि/आरजीएचएस/२०२०-२1/ 124-137 दिनांक 15-04-2021

- 1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान
- 2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
- 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर
- 4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर
- निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
- 7. समस्त जिलाधीश।
- समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
- 9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, वित्त भवन, जयपुर
- 10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान सरकार।
- 11. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
- 12. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी।
- 13. समस्त अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग।
- 14. रक्षित पत्रावली

(शिप्रा विक्रम) अतिरिक्त निदेशक (मेडि) साबीनि, जयपुर

# **Process Flow: RGHS Registration Process**



# RGHS: Raj. Govt Health Scheme Notification dated 9.4.21

1. केश लेल योजना - इन्डोर् न माजर डोर रोनों हेतु। परिवार

2. योजना भे सिम्मिलित - मिनीस्टर्म, आई एएम, एम एल ए-एक्स एम ए ले, कार्यरत/जेबादिवत त्या यक मिश्यारी, कार्यरत सभी सरकारी कमीचीरी एवं पत्थानारी/गिमिली पन्धानारी ज्याधनाती तर्यान, लोडे, तिमम आप्रे।

3.योजना में अंशदान : राज्य सरकार हाता निहारित किया जायेगा । (अभी निधारित नहीं इसा है)।

डोक्ल मार्वधा व्यालाभ

- सभी मेडीयन मुविधाओं का लाभा मिलेगा तरानुसार सम्बन्धित केरे-किया जायेगा। जैसे पेन्धनर हेत Ray. State Pensioners Concession Scheme, 2014 में तिर्शित द्विपामी बरो इस अधी योजना में मवर विषाजायेगा तरानुबार एभी वास्तियत । तैयमी मे संशोधन किया जायेगा।
- 5. <u>5 लाख तक</u> वेदालेन इलाग
- प्रति वर्ष 5.00 लाख तक वाइनान विशला - क्षिमिली फलोटर श्ताधार पर (Family Floater baris)।
- 6. इलाख छे जगर
- : उस्त 5.00 लाटव से अपर वा यन होता है तो (प्रतिवर्ष) हारपिटिली इनेशन की हिंपति भे. बहुप शम्मी बीमारियाँ इपे Catastrophic illness के मामलों में देयता।
- 7. फार्मिली पलोटट पूरे परिवाट (क्रियमानुसाट परिवाट की परिभाषा में आने वाले हिता सिंगल वाभिक बीमा पीमियम देना तथा वाधिक

राप से परिवार के एक ट्यानिस पर मानाकि (वे एक लाएन ट्याम (केशतेल) हुआ है तो परिवार को अन्य पदस्य रोप य. काला प्ल तक व्या लाभ उन विशिष्ट वर्ष में से सकते हैं।

8. Catastrophic

ममीर बीमारी जिसमें लम्बे समय त क भरपताल में रहने या ठीक होने में समय लगता से जैसे वैतर, लुक्को मिया, ह्ययुपात आदि।

9- इलाज व्यहा ले सकेंगे (क्रिप्रलेप)

् सर पारी अ--पताल, अधिहा अस्पताल, पीपीपी हास्पीटल, रेष्मल क्षास्पीटल (स्मान अधिकारी के सन्दर्भ करने पर)। इनमें केल लाग इलाज टोगा तथा कोई पुनर्भरण नहीं होगा।

10. और अनुमोदित हास्पीरल भें इलाज (पुनर्भेखा रोगा) श्रिकीर द्राणाम स्थिति (grave emergency)
एवं exceptional Cincumstances
ओ जोर अनुमनित (Um-approved) में इतम
ले प्रकेश जिसका RG HS Portal पर बित
प्रसित करने पर पुनर्भरण होगा।

11. मोइलाज योजना मे शामिल नहीं उपना पुनर्भरण नहीं रोगा — रेजे आइरम त्या विवरण पर RGHS वेबसारर पर उपसब्ध व्यसमा जायेगा

12. योजना में एनरोल-मेन्ट की प्रक्रिया आन लॉइन् ही पार्म भराजाना है)

- उदन बिन्द् 2 में शामिन पभी वर्ग के लाने / लामांधी 10. 4.21 से 30.4.21 तक Webste: www. reght. gev. in पर तिर्गीत पार्म में आखितों स्नरित पनरोलमेन्ट आवश्यक राप खे करवायोंगे। विशेष प्रित्मितियां में यह अविध् जागे निक्षम अधिकारी लढ़ा जिसता है। नभी तिर्गीत नाले के लिये यह अविध कार्यभार करते, सेतीन नाह है। उन्न तेवपारट प्रामित्नों, 10.4.21 को 1.30को तक्नोडपलाज नहीं हैं।

(कार्ड हामीरल में वातानाहोग)

= राज्य प्रावधारी एवं बीमा विभाग इस योजना त्या नोडल झांधवारी होगा तथा दिनांड 31.5.21 त्या (जार्म प्राप्त सेने पर) RGHS Cand लाभाषी को दिनीवर होगा। कार्डनं. बेबसारट पर अधिमूचित भी होगा।

- भूतिक आर जी एच एम 14. वार्ड वा अन्द्रपलक्षमा मिलपोत होने पर वार्ड नम्बर् के आधार इलाग लिया जा सकता है। राज्य खरमार अधिका वारेगी 15. हास्पीटलम् अधिकृत एवं यह स्वी www. righs. gov.in पर उपलब्ध व्यायी जायेगी हान्पीरलन, इप्पामा स्टोर्स, लेबोरेंद्रीज डाइग्नो हिट्य ब्रेन्स इमें पिंग केन्ड विना विभाग योजना की 16. योजना सार करने कियानिक्री हेत् विमृत निम्बल्पी र्नेपम् आस्डलान् गाउट लाहन, निमम, परिष्य, परिष्यः, स्पारीमाण जारी व्यरेगा (अभी जारी नहीं हुए है)। प्रिप्र आर्द इन नियमों भें पूर्व अलिलीवत 17. GF EAR AUT TREASURY
Rules of Etricat RPMF/RSMCS an स्थान पर RGHS मंशीकिन कर दिया जापा र तथा सब ्यरकारी व्यमचारी याज . वे-राग्र मेडीकल पान (RPMF) में अंशर्ग के स्यान पर डान नर् योगन् RG HS (राज गोर्तकेट हेल्य ह्याम् ) में जमय- यमम पट मिसिं दरों के अनुपार -> अभी तय नहीं हुआ है। SIPF विभाग नोयल एजेन विभाग स्वास TPR( शर्ड पार्टी एजेनी) बीमा एवं क्लेम हेन निषुक्त सरेगी तथा अपीलेट प्रशोरिश विमा विभाग का ACS/PS(F) होगा। 19. योजना व्या संचालन

टिपाणी :- उस्त योजना का यह केवल प्रारम्भिक आदेश है। अभी प्रभावी वर्तभाग निपमां में संशोधन होना है तथा गाइड साहत / तियमादि / प्रांच तालां की जूबी / अमान्य इलाज की जूबी जास होनी है। रितार्थात दिनांस 10. 4. 21 मे

प्रारम्भ व्यरमा व्यापा है पट्टी आश्रम करना बताया है पट्टी नेट पर उपलब्ध ही नहीं है

• योजना प्राथमिक अप से डीक ही लग रही है फिर भी सम्ब्राधियादेग / संशोधन / बीमा व्यवस्म / प्रीमियम आदि सम्बर्धी प्रादेश जामने माने के बाद ही प्राणे बोर्ट बापने या मन्य मंबेंड्सत व्यारविश किया जाना उचित होगा।

कि सी ट्रेसर

#### Frequently Asked Questions (FAQs)

#### RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME

1) आरजीएचएस क्या है ?

आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–244 के तहत सी.जी.एच. एस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है

2) आरजीएचएस का लामार्थी कौन बन सकता है ?

राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण/पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत् अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते है।

3) मैं आरजीएचएस का लामार्थी कैसे बन सकता/सकती हूं ?

आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई—डी लॉग—ईन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते है:—

स्थिति -1 (जब जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है)

- एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
- आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- जन-आधार कार्ड संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
- एम्पलॉय आई.डी. दर्ज करें।
- परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
- स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबिमट करें।

स्थिति - 2 (जब जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है)

- एस.एस.ओ. पर लॉग—इन करें।
- आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- पंजीयन नहीं होने पर जन-आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें।
- जन—आधार का फॉर्म भरकर सबिमट कर जन—आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें।
- जन—आधार पंजीयन के बाद आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति —1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनायें।
- 4) क्या आरजीएचएस का लामार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से भी कर सकता/सकती हूं ? जी हां, आरजीएचएस पर पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।
- 5) आरजीएचएस लामार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौनसे है ?
  - जनाधार
  - एम्पलॉई आई-डी/पी.पी.ओ. संख्या
- 6) आरजीएचएस 'फैमिली' का अर्थ क्या है? आरजीएचएस "फैमिली" का अर्थ है लाभार्थी के पति/पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की दो संतान व माता, पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हों जिनकी मासिक आय 6 हजार से कम हो।

- 7) आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जावें। ? आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर जनाधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है।
- 8) क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों / कर्मचारियों पर भी लागू है ? जी हां, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों / कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
- 9) यदि पति—पत्नी दोनों की नियुक्ति 01.01.2004 के बाद होने पर क्या आरजीएचएस में लाम दोनों को मिलेगा? जी हां, 01.01.2004 ओर उसके पश्चात् नियुक्त पति—पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक—पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होगें।
- 10) क्या जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाम देय है ? प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें है तो उनको पृथक इकाई माना जावेगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जायेगा।
- 11) **आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है ?** आरजीएचएस योजना अन्तः रोगी चिकित्सा (IPD), डे–केयर, मातृत्व–चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है।
- 12) **लामार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?** कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों / राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled) निजी अस्पतालों में ईलाज करवा सकता है।
- 13) क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज खर्च के दावे का पुरर्मरण देय है गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। जिसमें निम्न बीमारियों को सिम्मिलित किया गया है।

Coronary Artery Surgery, Vascular Surgery, Hodgkin's Disease, Acute Retention of urine more than 24 hrs., Acute Myocardial infarction, Acute Pneumonitis, Acute Respiratory Distress, Cancer, renal failure i.e. failure of both the kidney, Stroke,, Multiple Sclerosis, Meningitis, Major organ Transplants like Kidney, Lungs, Pancreas, Heart, Liver or Bone Marrow, Accidents, Delivery, Tubal Pregnancy and related complication, swine flu, dengue fever, burst Appendicitis, Pancreatitis etc. can be covered under as cases of grave emergency.

- 14) क्या कोविड —19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है? हां, योजना के अन्तर्गत कोविड — 19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड — 19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है।
- 15) अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार बोर्डिंग/अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है ?

(	X	1
1	121	/
	1	-

श्रेणी	वेतन श्रृंखला	राजकीय अस्पतालों में पात्रता	अधिकृत निजी अस्पतालों में पात्रता
1	36,000 / - रु तक	सामान्य वार्ड	जनरल वार्ड
2	36,001 रु से 63,000 /- रु तक	कॉटेज	अर्ध निजी वार्ड
3	63,001 / —रु और उससे अधिक।	डीलक्स	निजी वार्ड

16) मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु आधार कार्ड बना हुआ है क्या मुझे योजना का लाम मिल सकता है ?

जिस लाभार्थी का जन—आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, उन्हें जन—आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन—आधार संख्या/जन—आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन सकते है।

17) क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन—आधार कार्ड बनवाना होगा ? नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हें जन—आधार कार्ड जारी किया जाता है।

18) **ई—वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रूपये तक का आहरण किया जा सकता है?**01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों के ई—वॉलेट में राशि प्रति परिवार रू 5 लाख रखी गयी है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गयी है।

19) यदि ईलाज के उपरान्त ई—वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?
नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ होगा।

20) लामार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है ?
परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा जा सकता है।

21) क्या इस योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है? नहीं, इस योजना के अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर समिलित है।

22) मेरा बच्चा 06 माह आयु का है और उसका जन—आधार कार्ड में नहीं है क्या उसे योजना का लाम मिलेगा? हां, योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जनआधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है।

23) क्या उक्त लामार्थी परिवार में शामिल नविवाहिता को भी इस योजना का लाम मिलेगा? हां, परन्तु इसके लिये नवीन वधु का नाम परिवार के जन—आधार कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई—मित्र केन्द्र अथवा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। जन—आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा।

24) मेरे परिवार का जन-आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाम मिल पायेगा?
नहीं, जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जन-आधार कार्ड में जुड़ने से रह गया है तो उसका नाम भी तत्काल जुड़वाया जाये।

25) **आरजीएचएस लामार्थियों की श्रेणी क्या—क्या है ?** आरजीएचएस लामार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

26) आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहा सम्पर्क किया जाये ? आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी Toll free Number 1800 180 6268 से प्राप्त कर सकते है।

# GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)

No. F.1(4)FD/Rules/2021

Jaipur, dated: 15 APR 2021

#### **MEMORANDUM**

Sub: Scheme for grant of medical concession to State Government Pensioners.

- 1. The matter regarding revision of the "Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme" for grant of medical concession to State Government pensioners has been under consideration after introduction of a cashless health benefit Scheme referred as Rajasthan Government Health Scheme (RGHS). Accordingly, after due consideration the existing Scheme for providing medical concessions to State pensioners is being revised as here under.
- 2. The Scheme shall be called "Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2021".
- 3. **Definition:** In this Scheme, the terms used shall have the meaning as defined in Rule 3 of Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules 2013 except as hereinafter explained:
  - (1) "Scheme" means Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2021.
  - (2) "Pensioner" means retired Government servant and also employee of Panchayat Samiti and Zila Parishad who is granted pension under the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996 or is retired on the Contributory Provident Fund benefits, and also includes retired judicial service officers governed under Rajasthan Judicial officers (Medical Facility) Rules, 2008 and All India Service (AIS) Officers borne on State cadre. AlS officers also eligible to become members of Central Government Health Scheme shall exercise their option to

take treatment either under Central Government Health Scheme or Rajasthan Pensioners' Medical Concession Scheme subject to the condition that the claim for the treatment taken under Central Government Health Scheme would not be entertained under this Scheme. The term "Pensioner" shall also include "Family Pensioner".

- (3) "Family" means pensioner's wife/ husband, if wholly dependent upon the pensioner. Wife/ Husband will be regarded as wholly dependent upon the pensioner if she/ he normally resides with the pensioner. In case the pensioner has son(s) or unmarried daughter(s) suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living, he or she will be regarded as a member of family for the purpose of medical facility available under the Scheme.
- (4) "Authorised Shops" means shops recognized under this Scheme for the purpose of free supply of medicines to the pensioners.
- (5) "Head of Office/Department" means authority declared as such by the Government or any other authority under Government.
- (6) "RGHS" means Rajasthan Government Health Scheme.
- (7) "Fund" means Rajasthan Government Health Scheme Fund.

#### 4. Medical Attendance and Treatment:

A pensioner and his family shall be provided free medical attendance and treatment at Government hospitals (within and outside the State), Approved Hospitals within State, Hospitals under PPP arrangement, Referral Hospitals, indoor treatment in a private unrecognized hospital within and outside the State in case of emergent circumstances as admissible to State Government servant under Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013 subject to following limits:

(1) Allopathic drugs, medicines, vaccines, sera, other therapeutic substances not ordinarily available in Government Hospitals free of

charge can be taken from medical shop/store recognized for the Scheme in case of outdoor treatment up to the cost ceiling of Rs. 20,000/- per annum. The tests (pathological, bacteriological, radiological and other) can be taken upto Rs 5000/- per annum after NAC from Government hospital.

Provided that medicines to the indoor patient shall be made available irrespective of the cost ceiling.

Note: The pensioner/family pensioner shall be eligible for the free accommodation in Government Hospitals on the basis of last pay drawn by Government Servant at the time of retirement or on the date of death while in service, as the case may be. The class of free accommodation and reimbursement in present scheme shall be as per RCS (MA) Rules, 2013. The Government Servant retired on Contributory Provident Fund benefits shall also be entitled for free accommodation in Government Hospitals on the basis of pay last drawn by them immediately before retirement. This facility shall be subject to availability of accommodation in Government Hospitals. The provisions regarding entitlement of free accommodation in Government Hospitals from time to time before present scheme has also been compiled and appended as Form-1.

#### 5. Relaxation in cost ceiling:

The issue of procedure of extension of cost ceiling of drugs and medicines in case of out-door treatment above Rs 20,000/- per annum and tests charges above Rs 5000/- per annum will be decided in due course.

#### 6. RGHS card:

RGHS card will be issued to the pensioners free of cost as per RGHS. The procedure for issuance of RGHS card and related issues can be seen on RGHS website www.rghs.gov.in

#### 7. Procedure for claiming Medical Reimbursement:

- (1) All the medical facilities as per Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2021 will be admissible under RGHS. As RGHS is cashless health benefit scheme, therefore, no reimbursement will be allowed to RGHS card-holder, where cashless treatment is available. Reimbursement will be admissible to the RGHS Card holder in grave emergency in un-approved hospital, medicines purchased from outside for outdoor treatment and other exceptional circumstances. In such circumstances, the claim will be reimbursed only after submitting the claim online through RGHS portal.
- (2) Claim of retired Judicial Officers shall be submitted online as per their entitlement under Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008.
- (3) If a pensioner is subscribing / has subscribed to medical insurance policy for him or his family, and is also eligible for availing medical facilities under this Scheme, the claim will be settled as per procedure laid down in RGHS.

#### 8. Reimbursement of Medical Claims in case of death of a pensioner:

The arrears of Medical Claim of a deceased pensioner may be paid to the heirs of the deceased as per procedure laid down in RGHS.

## 9. Fixed Medical Allowance to Pensioner / Family Pensioner for those drawing pension in other States :

- (1) In case a pensioner / family pensioner is drawing his / her pension in other State, a fixed medical allowance @ Rs. 300/- per month shall be payable to him / her provided that he / she is not availing the medical facility under the Scheme.
- (2) The amount of fixed Medical Allowance shall be disbursed through direct benefit transfer (DBT) to the pensioner/family pensioner every month by e-payment. Receipt of amount of earlier payment should be ensured before disbursing the next payment.

(3) The pensioner/ family pensioner shall submit an application in the Form-2, as the case may be, appended to the Memorandum online through IT platform of RGHS.

#### 10. Recovery of subscription from monthly pay bills:

- (1) Subscription to the RGHS Fund shall be made by the serving Government Servants appointed to the Civil services of the State before 01-01-2004 at the rates, as may be prescribed by the State Government from time to time.
- (2) Recovery of the subscription at the prescribed rates shall be made from the monthly pay bill by the each head of Office/Department for crediting to the RGHS Fund. The details of the recoveries made from the Government servants shall be indicated in the Form-3 which shall accompany every monthly pay bill. The recovery of the subscription from employees of Panchayat Samitis and Zila Parishads shall be through RGHS portal.
- (3) Subscription of RPMF from Government servants by way of deduction from pay bills before issuing this Memorandum shall be transferred to respective receipt head of RGHS fund.

#### 11. Supply of medicines to the pensioners:

- (1) All Cooperative Medical Stores/ Jan Aushadi Kendra organized and run by Rajasthan Sahakari Upbhokta Bhandar and Drug Distribution Centres under Mukhya Mantri Nishulka dava Yojana shall be authorised shops for supply of medicines to the pensioners on the basis of prescription by authorised medical attendant under this scheme as per prescribed in RGHS Scheme. Also, E-pharma Stores will be authorised for supply of medicines to the pensioners.
- RGHS shall create an internet based medicines issuance system from authorized shops. Pensioners will be required to submit only original/copy of the prescription alongwith RGHS Card to these authorized shops for supply of medicines.

- 12. Issuance of Non Availability Certificate to the pensioners in respect of medicines not available at Authorised Cooperative Medical shops and its reimbursement.
  - (1) In respect of medicines not available at Authorised Cooperative Medical shops, the in-charge of the shop shall issue a Non-availability Certificate to the RGHS Card Holder
  - (2) The RGHS Card Holder shall purchase the medicines from the licensed medical shop / e-pharma stores.
  - (3) The detailed procedure regarding supply of medicines and issuance of NAC shall be issued under RGHS.

#### 13. Functions of Treasury Officer under the Scheme:

- (1) The Treasury Officer will ensure that deductions at the prescribed rates of subscription are made from monthly pay bill of each Government servant, and a recovery schedule in support of the deductions so made is attached to each monthly pay bill.
- (2) The recovery schedule attached to monthly pay bill shall be detached by the Treasury staff and it shall be sent to the Director, Treasuries and Accounts, Rajasthan, Jaipur with a covering list. The covering list shall be prepared in duplicate, one copy of which shall be retained by the Treasury for its record.
- (3) Each Treasury Officer shall send a monthly statement of Accounts at the close of each month to the Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur and the and Director, SI&PF Department by the 7th of the following month as per procedure.
- **14.** The Finance (I&P) Department of the Government shall be the Administrative Department of the Scheme.
- 15. In cases where it is found that a pensioner has abused or misused any of the concessions allowed under the Scheme, he shall be permanently debarred from availing of the concessions under this Scheme. Appeal shall lie against his order to the competent level in RGHS.

#### 16. Repeal and Savings:

- (1) This Scheme shall supersede the Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2014 and all Memorandums / orders / circulars issued thereunder, and shall be applicable for the medical attendance and treatment taken on or after the date this Scheme is issued.
- (2) The pending cases and cases in which the treatment has been commenced prior to issuance of this Memorandum shall be decided by the provisions of Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2014 and all orders issued there under.
- (3) The provisions laid down under Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2014 shall be continued till RGHS card is issued. After issuance of RGHS Card to the pensioner, medical attendance and treatment will be admissible under this Scheme of 2021.

By order of the Governor,

(Dr. Prithvi)

Finance Secretary (Budget)

#### Copy forwarded to the -

- 1. Secretary to Hon'ble Governor
- 2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister
- 3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
- 4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government
- 5. Senior DS to Chief Secretary
- 6. Accountant General, Rajasthan, Jaipur
- 7. All Heads of the Departments
- 8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
- 9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office
- 10. All Treasury Officers
- 11. All Sections of the Secretariat
- 12. Administrative Reforms (Gr.7)
- 13. Vidhi Rachana Sanghthan for Hindi translation
- 14. Technical Director, Finance Department (Computer Cell)
- 15. Guard File

Copy also to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
 Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur
 Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
 Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur

(S.Z. Shahid)

Joint Secretary to the Government

(RSR-12/2071)

## Eligibility of pensioners/ family pensioners for the free accommodation in Government Hospitals on the basis of pay last drawn by them at the time of retirement/ death while in service.

Sr. No.	Class of Accomm- odation	From 01.04.1958	From 01.03,1970	01.09.1976	From 01.09.1981	From 01.09.1986	From 01.09.1988	From 01.01,1998	From 01.09.2008	From 1-1-2016
1	Deluxe or cottage Ward	Officer drawing pay of Rs. 750/- & above	Officers drawing pay of Rs. 900/- & above	Govt. servants drawing pay Rs. 1350/- & above	Govt. servants drawing pay Rs. 1700/- & above	Govt. servants drawing pay Rs. 2750/- & above	Govt. servants drawing pay Rs. 3500/- & above	Govt. servants drawing pay Rs. 105,00/- & above	Govt. servants drawing pay Rs. 25000/- & above	Gort sevents are wing pay is. pay drawns in the pay matrix \$3.64,000.
2	Cottage Ward	Gazetted Officers drawing pay below Rs. 750/- & non gazetted officer drawing Rs. 250/- & above	Gazetted Officers drawing pay below Rs. 750/- & non gazetted officer drawing	Govt. servants drawing Rs. 650/- & above but below Rs. 1350/-	Govt. servants drawing Rs. 860/- & above but below Rs. 1700/-	Govt. servants drawing Rs. 1550/- & above but below Rs. 3500/-	Rs. 2000/- & above but below Rs. 3500/-	Rs. 6000/- & above but below Rs. 10500/-	Rs. 14000/- or above but below Rs. 25000/-	Bo. 36 000 - 2 about below Ps. 64 ovo/
3	Rental Ward of	Non gazetted officer in receipt	Non gazetted officer in receipt	Above Rs. 300/- but	Above Rs. 420/- but	Above Rs. 750/- but	Above Rs. 800/- but below Rs.	Below Rs. 6000/- but above Rs.	below Rs. 14000/- above	Below B. 3 (000/-
	lowest category	of pay of Rs. 249/- & less but above Rs. 99/-	of pay of Rs. 299/- & less but above Rs. 99/-	below Rs. 650/-	below Rs. 860/-	below Rs. 1550/-	2000/-	2800/-	Rs. 6600/-	3(00/-
		pm.	pm.						-	
4	Referenc e of Govt. orders.	F.4(22) GA (A)/57 dated 28.03.1958	(Rules)/70	F.1(4)FD(Gr- 2)/70 dated 01.12.1976	F.12(12)FD (GR-2)/82 dated 17.02.1983	F.12(12)FD (GR-2)/82 dated 02.02.1987	F.12(12)FD (GR- 2)/82 dated 23.09.1989	F.12(12)FD (GR- 2)/82 dated 12.09.2008	F.6(4)FD(Rule s)/2003 dated 12.09.2008	F ((9) FD/Pules/ 2017 dates 30.x.17





## Form of Application for grant of fixed Medical Allowance to the pensioner/family pensioner drawing pension in other State

To Director, SI & PF Department, Rajasthan, Jaipur

Through: Treasury Officer of the State (from where the pensioners is getting pension)

Upload Photograph (Joint photograph of the pensioner and spouse, if the spouse is alive.)

**Sub**: Application for grant of fixed medical allowance of Rs. 100/- per month to Pensioner/Family pensioner of the State of Rajasthan drawing pension in other State.

- 1. Pensioner's/Family pensioner's name (in capital letters)
- 2. Father's/Husband's name
- 3. Date of birth
- 4. Date of death of pensioner in case the applicant is family pensioner
- 5. Date of retirement
- 6. Pay last drawn at the time of retirement
- 7. Name of the post and Department from where retired
- 8. P.P.O.Number(Raj.State).....(Present State).....(Upload copy of PPO)
- 9. Amount of Pension
- 10. Name of spouse (if living)
- Source from which pension is being drawn (Give name of the Branch of the Bank & A/c No.)I declare that the above information is correct.

Dated:		(Signature of the Pensioner)
		Full Address
	,	

\*(Strike out whichever is not applicable)



<b>OFFICE OF</b>	<b>TREASURY</b>	OFFICER	(STATE)

The above information given by the Pensioner Sh...... holder P.P.O. No.....is correct and his application for fixed medical allowance is forwarded for necessary action.

Treasury Officer/Pension Payment Officer (of the State from where the pensioner is getting pension).

For use in the Office of the Rajasthan Government Health Scheme

- 1. The above application has been enrolled.
- 2. The fixed medical allowance of Rs. 300/- p.m. is being allowed w.e.f........

Director, SI & PF Department

Fο	rm	-3

S.B.No	Date	 			
Office of the					
	٠		Schedule fo	or Deduc	tion

#### Creditable to P.D.A/c

S.No.	Name of	Designation	Pay	Amount of Subscription
	Employee			
			Total	

Signature of D.D.O.

Name of the Department/Office





# Login Guidelines Rajasthan GovernmentHealth Scheme(RGHS):

State Insurance and Provident Fund Department, Government of Rajasthan

#### **Process Flow:**

- ❖ Step 1: Log-in through SSO ID: Employee will log in through from his/her government SSO Id (sso.rajasthan.gov.in)
- Step 2: Link for RGHS (Icon): RGHS icon will be displayed on SSO website which redirects user to RGHS portal for further registration.
- Step 3: Registration on RGHS through Jan Aadhar: User will provide Jan Aadhar ID or enrollment ID to initiate the registration of his family members in scheme. This registration is divided into further six steps:

#### □ Display of Jan Aadhar Family

- a) User provides Jan Aadhar or enrollment number to display Jan Aadhar family associated to Jan Aadhar number.
  - o If Jan Aadhar number is "Not Available" RGHS portal redirects user to Jan Aadhar portal for creation of Jan Aadhar ID.
  - o If Jan Aadhar number is "Available" RGHS portal displays the Jan Aadhar Family along with the column for selection of government employee.

#### □ Identification/Selection of Government employee:

a) Limited to select only one government employee which will be having the right to define relationship.

#### □ Verification from log in SSO ID/ Employee ID.

- a) After identification, RGHS beneficiary will select the catogory .
- b) Self identification by employee ID verification.
- c) If verified "Yes" then it will lead to next of step of registration.
- d) If verified "No" then a message will appear to log in from employee's SSO Id for registering under RGHS.

#### □ Defining Relationship with respect to Government Employee

a) User will define his own family relationships to be covered under RGHS and can select the category.

#### **□** Validations of relationships.

a) Basis on the information provided by user, system will be able to identify dependents under family as per the following guidelines. Family definition is Annexed below

#### ☐ Declaration/Acceptance/Disclaimer:

- a) By registering, system will allow the member to register/validate.
- b) Without continuing the acceptance, system will not allow the member to register/validate.

\* Step 4: "Successfully Registered": Registration process will be completed by clicking on submit button".

#### **Family Definition**

- ❖ Family means Government servants' spouse, wholly dependent children, legally adopted children (including legally divorced / widowed daughter) and parents (excluding stepparents) irrespective of where they reside.
  - a) Parents shall be deemed to be wholly dependent if their recurring total annual income from all sources does not exceed Rs 6000/- per month. However, income from Contributory Provident Fund, Gratuity, Government of India's Prize Bonds, Insurance Benefits etc. shall not be regarded as income.

#### Dependent children shall mean and include:

- a) Son till gets married or starts earning income not exceeding Rs 6000/- per month or attains the age of 25 years, whichever is earlier.
- b) Daughter Till gets married or starts earning income not exceeding Rs 6000/- per month, whichever is earlier.
- c) Son /daughter suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) shall be treated as dependent irrespective of his/her age or marital status.
- d) Legally adoptive parents who are dependent on the Government servant, irrespective of where they reside, shall be member of family as 'parents' provided that in any circumstances the real parents shall not be member of the family under the aforesaid rules. It is also clarified that if the adoptive father has legally more than one wife, only senior most will be adoptive mother and others being 'step-mothers' will not include in the definition of family as 'parents' under this Scheme."

#### Following Screen Shots are mentioned below for an ease:

**G2G APPS** 

555

G2C/G2B APPS

145


## **IDENTITIES**


2,11,51,532



Login

- 🖒 I Forgot my Digital Identity (SSOID). Click Here







A Not secure | rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/Registration#

#### **Rajasthan Government Health Scheme**

BACK TO SSO

LOGOUT

Do you have Janaadhar ID/Janaadhar Enrollment ID :- Oyes Ono



21:32

#### **Rajasthan Government Health Scheme**

Do you have Janaadhar ID/Janaadhar Enrollment ID :- ⊚yes ○no

Janaadhar ID/Janaadhar Enrollment ID :- 4606036519 CONTINUE

#### JanAadhar Family Details

S.No.	Full Name	Relationship with Head of Family(HOF)	Gender	Date of Birth(DOB)	Member ID	Government Employee
1	Pappi Devi	Self	Female	01/01/1979	51339739049	0
2	Vishal	Son /Daughter	Male	01/01/2002	82912399660	0
3	Gopal	Husband/wife	Male	01/01/1976	25758772219	0
4	Pooja	Son /Daughter	Female	01/01/1995	56265007029	0
5	Deepak	Son /Daughter	Male	01/01/1992	66993428018	0
6	Jyoti	Son /Daughter	Female	01/01/1998	46904934547	0

For Addition/Deletion of family members, please Visit Janaadhar Portal.

CONTINUE





### Rajasthan Government Health Scheme

Do you have Janaadhar ID/Janaadhar Enrollment ID :- @yes Ono

Janaadhar ID/Janaadhar Enrollment ID : - 4606036519

#### JanAadhar Family Details


S.No.	Full Name	Relationship with Head of Family(HOF)	Gender	Date of Birth(DOB)	Member ID	Government Employee
1	Pappi Devi	Self	mair	01/01/1979	51339739049	0
2	Vishal	Son /Daughter	Male	01/01/2002	82912399660	0
3	Gopal	Husband/wife	Male	01/01/1976	25758772219	•
4	Pooja	Son /Daughter	Female	01/01/1995	56265007029	0
5	Deepak	Son /Daughter	Male	01/01/1992	66993428018	0
6	Jyoti	Son /Daughter	Female	01/01/1998	46904934547	0

For Addition/Deletion of family members, please Visit Janaadhar Portal









For Addition/Deletion of family members, please Visit Janaadhar Portal.

5

6

Deepak

Jyoti

CONTINUE

Male

Female

01/01/1992

01/01/1998

66993428018

46904934547

0


0


#### Please Select the Category of Employee and Provide Employee ID

Son /Daughter

Son /Daughter

S.No.	Name	Category		Employee ID	
1	Gopal	Judicial Officers (Serving and Retired)	•		VERIFY





S.No.	Full Name	Relationship with Head of Family(HOF)	Gender	Date of Birth(DOB)	Member ID	Government Employee
1	Pappi Devi	Self	Female	01/01/1979	51339739049	0
2	Vishal	Son /Daughter	Male	01/01/2002	82912399660	0
3	Gopal	Husband/wife	Male	01/01/1976	25758772219	•
4	Pooja	Son /Daughter	Female	01/01/1995	56265007029	0
5	Deepak	Son /Daughter	Male	01/01/1992	66993428018	0
6	Jyoti	Son /Daughter	Female	01/01/1998	46904934547	0

For Addition/Deletion of family members, please Visit Janaadhar Portal.


0

21:33

CONTINUE

#### Please Select the Category of Employee and Provide Employee ID

S.No.	Name	Category	Employee ID	
1	Gopal	AIS(Serving)	RJJP200019000200 VERIFY	



#### JanAadhar Family Details

X ARGHS Application

sso.rajasthan.gov.in

0

21:33 09-04-2021


S.No.	Full Name	Relationship with Head of Family(HOF)	Gender	Date of Birth(DOB)	Member ID	Government Employee
1	Pappi Devi	Self	Female	01/01/1979	51339739049	10
2	Vishal	Son /Daughter	Male	01/01/2002	82912399660	Ö
3	Gopal	Husband/wife	Male	01/01/1976	25758772219	•
4	Pooja	Son /Daughter	Female	01/01/1995	56265007029	0
5	Deepak	Son /Daughter	100	01/01/1992	66993428018	0
6	Jyoti	Son /Daughter	mai	01/01/1998	46904934547	ō

For Addition/Deletion of family members, please Visit Janaadhar Portal.

CONTINUE


#### Please Select the Category of Employee and Provide Employee ID

S.No.	Name	Category	Employee ID				
1	Gopal	AlS(Serving)	RJJP200019000200	VERIFY			




00 空か ENG 21:33 09-04-2021 

#### Self N/A N/A 45 N/A N/A Gopal Male 2 Pappi Devi No 42 Select Relation Female Select Marital Status Select Monthly Income 3 Vishal Select Relation Male No 19 Select Marital Status Select Monthly Income 4 No 26 Pooja Select Relation Female Select Marital Status Select Monthly Income Male 29 5 Deepak Select Relation No Select Marital Status Select Monthly Income 23 6 Jyoti Select Relation Female No Select Marital Status Select Monthly Income




S.No.	Name	Relation	Gender	is Govt. Employee	Specially A	bled	Age	Marital Status	Income
1	Gopal	Self	Male	N/A	N/A		45	N/A	N/A
2	Pappi Devi	Select Relation  Select Relation	Female	0	No	v	42	Select Marital Status	Select Monthly Income
3	Vishal	Spouse Mother Daughter	Male	0	No	•	19	Select Marital Status	Select Monthly Income
4	Pooja	Select Relation 🕶	Female	0	No	v	26	Select Marital Status	Select Monthly Income
5	Deepak	Select Relation 💌	Male	0	No	v	29	Select Marital Status	Select Monthly Income
6	Jyoti	Select Relation 🕶	Female	0	No	v	23	Select Marital Status	Select Monthly Income

CONTINUE






CONTINUE






CONTINUE



CONTINUE



S.No.	Name	Relation	Gender	is Govt. Employee	Specially Abled	Age	Marital Status	Income
1	Gopal	Self	Male	N/A	N/A	45	N/A	N/A
2	Pappi Devi	Spouse	Female		No ~	42	Select Marital Status 🔻	Select Monthly Income
3	Vishal	Son	Male		No v	19	Unmarried	Less Then Equal to 6000 🗸
4	Pooja	Select Relation	Female	0	No v	26	Select Marital Status 🗸	Select Monthly Income
5	Deepak	Father	✓ Male	0	No v	29	Select Marital Status 💌	Less Then Equal to 6000 🐱
6	Jyoti	Daughter	▼ Female	0	No v	23	Unmarried	Greater Then 6000

CONTINUE

00

21:35

#### Define Family with respect to Selected Government Employee

S.No.	Name	Relation	Gender	is Govt. Employee	Specially Abled	Age	Marital Status	Income
1	Gopal	Self	Male	N/A	N/A	45	N/A	N/A
2	Pappi Devi	Spouse	Female	0	No v	42	Select Marital Status	Select Monthly Income ~
3	Vishal	Son	Male	0	No •	19	Unmarried	Less Then Equal to 6000
4	Pooja	Select Relation 🗸	Female	0	No v	26	Select Marital Status 🗸	Select Monthly Income •
5	Deepak	Father •	Male	0	No ~	29	Select Marital Status 😽	Less Then Equal to 6000
6	Jyoti	Daughter •	Female	0	No 🗸	23	Unmarried •	Greater Then 6000 🕶

CONTINUE

#### RGHS Card Family: Eligible Member for RGHS(Category - 5)

S.No.	Name	Relation
1	Gopal	Self
2	Pappi Devi	Spouse
3	Vishal	Son
4	Deepak	Father

□ I consent to use my Aadhar ID and declare that the above information submitted is true to the best of my knowledge.

21:35

#### Define Family with respect to Selected Government Employee

S.No.	Name	Relation	Gender	is Govt. Employee	Specially Abled	Age	Marital Status	Income
1	Gopal	Self	Male	N/A	N/A	45	N/A	N/A
2	Pappi Devi	Spouse 🗸	Female	0	No ~	42	Select Marital Status 💟	Select Monthly Income ~
3	Vishal	Son 🕶	Male	0	No v	19	Unmarried 🗸	Less Then Equal to 6000 🔻
4	Pooja	Select Relation 🗸	Female	О	No v	26	Select Marital Status 🗸	Select Monthly Income 🔻
5	Deepak	Father v	Male	0	No v	29	Select Marital Status 🔻	Less Then Equal to 6000 🔻
6	Jyoti	Daughter ~	Female		No ~	23	Unmarried	Greater Then 6000

CONTINUE

#### RGHS Card Family: Eligible Member for RGHS(Category - 5)

S.No.	Name	Relation
1	Gopal	Self
2	Pappi Devi	Spouse
3	Vishal	Son
4	Deepak	Father

I consent to use my Aadhar ID and declare that the above information submitted is true to the best of my knowledge.

SUBMIT

ENG 21:35

#### Define Family with respect to Selected Government Employee

S.No.		Relation	Gender	is Govt Employee	Specially Abled	Age	Marital Status	Income
1	Gopal	Self	Male	N/A	N/A	45	N/A	N/A
2	Pappi Devi	Spouse 🕶	Female	ō	Na ~	42	Select Marital Status 💟	Select Monthly Income
3	Vishal	Son 🗸	Male	0	No v	19	Unmarried ~	Less Then Equal to 6000 🗸
4	Pooja	Select Relation 🕶	Female	0	No ~	26	Select Marital Status 💙	Select Monthly Income ~
5	Deepak	Father •	Male		No v	29	Select Marital Status 💟	Less Then Equal to 6000 🔻
6	Jyoti	Daughter ~	Female		No 👻	23	Unmarried	Greater Then 6000 🐱



#### RGHS Card Family: Eligible Member for RGHS(Category - 5)

S.No.	Name	Relation
t	Gopal	Self
2	Pappi Devi	Spouse
3	Vishal	Son
4	Deepak	Father

It consent to use my Aadhar ID and declare that the above information submitted is true to the best of my knowledge.

SUBMIT

S.No.	Name	Relation
1	Gopal	Self
2	Pappi Devi	Spouse
3	Vishal	Son
4	Deepak	Father

I consent to use my Aadhar ID and declare that the above information submitted is true to the best of my knowledge.

SUBMIT

# Thank You



#### **GOVERNMENT OF RAJASTHAN**

## State Insurance and Provident Fund Department

(General Insurance Fund)

2<sup>nd</sup> Floor, D-Block, Vitta Bhawan, Janpath, Jaipur – 302005

Website: www.rghs.rajasthan.gov.in

email: ADD.DIR.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN

No.: F.1 (240)/ RGHS/2021/(wfh)/SPL-1-2

Date 26-04-2021

### Office - order - 01

Hon'ble Chief Minister of Rajasthan in his Budget-speech 2021 announced Rajasthan Government Health Scheme – 2021 (RGHS) on the lines of CGHS from 01.04.2021 to provide medical facilities to various categories of beneficiaries under one scheme. Subsequently, as per notification no. 5(5)FD/Insurance/2020 dated 09.04.2021 of Finance Department of Rajasthan registration process was to be completed up to 30.04.2021 by all categories.

As registration is a process which will continue in perpetuity there will be no last date for registration now.

It bears approval of competent authority.

12141

(Shipra Vikram)
Additional Director (Med)
GIS, Jaipur

No.: F.1 (240)/ RGHS/2021/(wfh)/SPL-1-2

Date 26-04-2021

- (1) PS to Director, State Insurance & PF, Head Office, Jaipur
- (2) System Analyst, State Insurance & PF, Head Office, Jaipur
- (3) Guard file

12141

(Shipra Vikram) dditional Director (Med) GIS, Jaipur

### **Option Form**

	From,
	(Name and address of Employee)
То,	
The Principal/Headmas	ter,
	(school name),
Dist	(Raj).
Sub	ject: Declaration for opting Raj Mediclaim Policy/ Rajasthan Govt Health Scheme Fund-RGHSF from the salary for the month of July-2021.
Ref:	Finance(Insurance) Dept. order No. F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II Dated: 07July2021
Respected Sir/Madam,	
1	(Name of employee) hereby declare that I want to opt for
	nt Health Scheme Fund- RGHSF as per reference letter.
Please consider this de August, 2021 as per rul	claration and deduct RGHS from the salary for the month of July, 2021 payable on 1st es.
Date:-	
Yours sincerely,	
	(Name of employee)
	(Employee ID)
	(Basic Pay & Pay Matrix Level)
	Rs.(RGHS Subscription Amount per month)
(Signature)	

# GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE (Insurance) DEPARTMENT

F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II

Jaipur, dated: 0 7 JUL 2021

### **ORDER**

Sub: Subscription to the Rajasthan Government Health Scheme Fund.

Ref: Finance (Insurance) Department notification No. 5(5)FD/Insurance/2020 dated 9-4-2021 and FD (Rules) Memorandum No. F.1(4)FD/Rules/2021 dated 15-04-2020.

In pursuance of the provisions at point No. 1 of the aforesaid notification dated 9-4-2021 and para 10 of Memorandum dated 15-04-2020, the Governor is pleased to order that the rates of subscription to the Rajasthan Government Health Scheme Fund will be as under:

Employees who are drawing pay in the prescribed levels in the Pay Matrix as prescribed under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017–

S. N.	Category of Government Servants	Subscription per month (Rs) for the Government servant appointed before 1-1-2004	Subscription per month (Rs) for the Government servant appointed on or after 1-1-2004
1	2	3	4
1	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix upto Rs. 18000/-	265.00	135.00
2	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs. 18000/- but upto Rs.33500/-	440.00	220.00
3	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs.33500/- but upto Rs.54000/-	658.00	330.00
4	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs.54000/-	875.00	440.00



#### Note:-

- 1. This order shall come into force from 1-7-2021 i.e. subscription shall be commenced from the salary for the month of July, 2021 payable on 1st August, 2021.
- 2. Employees who were recruited on or after 1-1-2004 will have option either to continue with Raj Mediclaim Policy or to register themselves in RGHS as new beneficiary. In case they opt to register themselves in RGHS, then they will have make subscription on the rates as mentioned in Column No. 4 of above table
- 3. Retired employees who were recruited on or after 1-1-2004 will have to make subscription on the monthly rate or make one time subscription for 10 years for life time validity on the rates as mentioned in Column No. 4 of above table.
- 4. Subscription in RGHS fund shall be made in Budget Head 8342-00-120-(69) of RGHS.

By order of the Governor,

(Naresh Kumar Thakral)

Special Secretary, Finance (Exp.)

#### Copy forwarded to the-

- 1. Secretary to Hon'ble Governor.
- 2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
- 3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
- 4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
- 5. Sr. D.S. to Chief Secretary.
- 6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
- 7. All Heads of the Departments.
- 8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
- 9. Director, State Insurance and Provident Fund Department.
- 10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
- 11. All Treasury Officers.
- 12. All Sections of the Secretariat.
- 13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
- 14. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
- 15. Technical Director, Finance Department (Computer Cell).
- 16. Guard File.

#### Copy also to the -

- 1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
- 2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
- 3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
- 4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur,

Joint Secretary, 67/7/202 FD (Insurance)

# **Option Form**

From, Ashwini Kuman Teacher L-2 (Gups Phani Bagki (Name and address of Employee)	YAN,
То,	
The Principal/Headmaster, (MALPURA)  PEEO, DUNGRI KALAN, (school name),  Dist. TONK (Raj).	
Subject: Declaration for opting Raj Mediclaim Policy/ Rajasthan Govt Health Scheme Fund-RGHSF from the salary for the month of July-2021.	
Ref: Finance(Insurance) Dept. order No. F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II Dated: 07July2021	
Respected Sir/Madam,	
I ASHWINT KUMAR (Name of employee) hereby declare that I want to opt for	nr
Rajasthan Government Health Scheme Fund- RGHSF as per reference letter.	•
Please consider this declaration and deduct RGHS from the salary for the month of July, 2021 payable on 1st August, 2021 as per rules.	
Date:- 13.07.2021	
Yours sincerely,	
ASHWINI (CUMAR (Name of employee)	
K0201827054457 (Employee ID)	
1800ト 冬 L-10 (Basic Pay & Pay Matrix Level)	
Rs.(RGHS Subscription Amount per month)	
Azhul (Signature)	



- I have multiple SSOIDs Click here to merge


This website uses 'Cookies' to give you the best and most personalized experience and to improve the site performance. 'Cookies' are simple text files which safely resides on your computer.




Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Government Of Rajasthan

Helpdesk Details | Website Policies | Password Policy | FAQ | Sitemap













2

•



### Rajasthan Government Health Scheme



# कार्ड प्रिंट करने हेतु CTRL+P कमांड दे कर प्रिंट करें।

For any queries, please mail to RGHS Helpdesk : <u>helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in</u> For details of scheme please visit RGHS Website: <u>https://rghs.rajasthan.gov.in</u>

#### Terms & Condition

- RGHS e-card has been generated based on the details submitted.
- It will be used as ID card for beneficiary at empanelled healthcare network provider(HCNP) and Government hospitals.
- Quote your e-Wallet No. when you call on helpline and in all your correspondence.
- In case of non-photo Identity Card the member has to identify himself/herself with any other photo-card viz. PAN Card, Electoral Card, Driving License, Passport etc., along with this PCUS a part
- The current family status should be updated as per the change with respect to rules applicable.

\*बह् प्रतीक्षित RGHS योजना\*

हिंदी अनुवाद

11

राज्यपाल ने कैशलेस स्वास्थ्य लाभ योजना शुरू करने की कृपा की, जिसे बाद में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें चिकित्सा उपचार, निर्दिष्ट डेकेयर प्रक्रिया, आउटडोर उपचार, जांच और चिकित्सा उपस्थिति और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकत्सक पद्ति और उपचार के अंतर्गत उपचार शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निर्दिष्ट के रूप में अन्य उपचार। यह योजना अनिवार्य रूप से मंत्रियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, एमएलएएस और पूर्व-एमएलएएस, सेवा और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों की सेवा (चाहे पुरानी या नई पेंशन योजना के तहत कवर) और पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को कवर करेगी। साथ ही, यह योजना स्वायत्त निकायों, बोर्डों, निगमों आदि के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लागू होगी। इस योजना में योगदान राज्य सरकार द्वारा नियत समय पर लिया जाएगा।

2. आरजीएचएस विभिन्न श्रेणियों के संबंधित नियमों / योजनाओं के तहत निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सभी चिकित्सा सुविधाओं को कवर करेगा। (i) राजस्थान मंत्री (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1961 (ii) राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 (iii) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 (iv) राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधाएं) ) नियम, १९६४ (v) राजस्थान विधान सभा पूर्व सदस्य और परिवार पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, २०१० (vi) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, २०१३ (vii) राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना २०१४ (और) viii) राज मेडिक्लेम पॉलिसी। नए लाभार्थियों को रुपये तक के उपचार की अनुमित होगी। परिवार के फ्लोटर आधार पर 5.00 लाख प्रति वर्ष। योजना रुपये से ऊपर के लाभार्थी सदस्य के अस्पताल में भर्ती से संबंधित अतिरिक्त खर्चों को कवर करेगी। सरकारी / निजी किसी भी अस्पताल में प्रति वर्ष 5.00 लाख प्रति वर्ष, विशेष रूप से पारिवारिक आपदा संबंधी बीमारी के लिए।

4. उपचार किसी भी हेल्थ केयर नेटवर्क प्रदाता (HCNP) यानी सरकारी अस्पतालों, अनुमोदित अस्पतालों, पीपीपी अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों (सक्षम प्राधिकारी से उचित संदर्भ के बाद) में लिया जा सकता है। टीपीए की प्रतिपूर्ति आरजीएचएस दरों के अनुसार की अनुमित दी जाएगी। आरजीएचएस कार्ड धारक को कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, जहां कैशलेस उपचार उपलब्ध है। हालांकि, आरजीएचएस कार्ड धारक द्वारा प्रतिपूर्ति को गैर-अनुमोदित अस्पताल और अन्य असाधारण परिस्थितियों में गंभीर आपातकाल में लिए गए चिकित्सा उपचार के लिए लिया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, दावा आरजीएचएस पोर्टल पर बिल जमा करने के बाद ही किया जाएगा। इस संबंध में और विवरण आरजीएचएस वेबसाइट यानी rghs.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

5. कुछ उपचार ऐसे हैं जो आरजीएचएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे बहिष्करण का विवरण आरजीएचएस की वेबसाइट पर अपलोड की गई योजना में उपलब्ध होगा। ऐसे बहिष्कारों की प्रतिपूर्ति थर्ड पार्टी एडिमिनिस्ट्रेटर (TPA) के माध्यम से नहीं की जाएगी।

6. राज्य सरकार आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के माध्यम से टीपीए का चयन करेगी।

- 7. इस योजना के तहत लाभार्थियों का नामांकन 10-4-2021 से शुरू होगा और 30-04-2021 तक पूरा होगा। उपर्युक्त श्रेणी का प्रत्येक व्यक्ति 30-05-2021 से पहले आश्रितों के साथ-साथ राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग को 31-05-2021 तक आरजीएचएस कार्ड देने में सक्षम बनाएगा। नामांकन की अविध केवल वैध कारणों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तारित की जा सकती है। नई भर्तियों के लिए नामांकन की अविध सेवा में शामिल होने की तारीख से 3 महीने होगी।
- 8. सभी श्रेणियों के नामांकन फॉर्म आरजीएचएस की वेबसाइट www.rghs.gov.in पर उपलब्ध होंगे, साथ ही ऐसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी होगी। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। उपर्युक्त श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट आरजीएचएस कार्ड नंबरों के साथ नामांकन के बारे में सूचित किया जाएगा। कार्ड के गलत स्थान / कार्ड की अनुपलब्धता के मामले में, इस विशिष्ट RGHS कार्ड नंबर का उपयोग HCNP में उपचार के लिए किया जा सकता है।
- 9. निजी अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, इमेजिंग केंद्रों और ई-फार्मा स्टोर्स का परित्याग: वे अस्पताल / डायग्नोस्टिक केंद्र, इमेजिंग केंद्र जिनके पास NABH / NABL मान्यता है और जिन अस्पतालों में CGHS के तहत सामंजस्य है वे RGHS वेबसाइट पर सीधे RGHS पर लागू होंगे। अस्पताल और नैदानिक प्रयोगशालाएं / इमेजिंग केंद्र जिनके पास NABH / NABL मान्यता नहीं है और जो अस्पताल CGHS के तहत समानीकृत नहीं हैं, वे RGHS वेबसाइट यानी www.rghs.gov.in पर RGHS द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानदंडों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अस्पताल / लैब जो पहले से ही एचबीईसी द्वारा सहानुभूति रखते हैं, उन्हें आरजीएचएस वेबसाइट पर फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- 10.ई-फार्मा स्टोर्स के लिए प्रक्रिया और नियम और शर्तें तय समय में तय की जाएंगी। राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग (SIPF) नोडल विभाग होगा और वित्त (बीमा) विभाग राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए प्रशासनिक विभाग होगा।
- 11. पैरा 2 में सूचीबद्ध संबंधित नियमों / योजनाओं में आवश्यक संशोधन उचित समय में जारी किए जाएंगे।
- 12. वित्त (बीमा) विभाग, RGHS के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अनुलग्नक, परिपत्र, स्पष्टीकरण आदि के साथ विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगा। 13. यदि इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान कोई कठिनाई आती है, तो संबंधित अस्पताल / हितधारक इस मामले को निदेशक, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग को भेजेगा और यदि निदेशक, एसआईपीएफ के स्तर पर मामला हल नहीं होता है, तो वित्त (बीमा) विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अपीलीय प्राधिकारी एसीएस / प्रधान सचिव, वित्त होंगे।

शिक्षक हित में टीम RSF द्वारा अनुवादित

किसी भी अन्यथा स्थिति में वित्त विभाग के निर्देश ही लागू होंगे



# RGHS: Raj. Govt Health Scheme Notification dated 9.4.21

1. केश लेल योजना - इन्डोर् न माजर डोर रोनों हेतु। परिवार

2. योजना भे सिम्मिलित - मिनीस्टर्म, आई एएम, एम एल ए-एक्स एम ए ले, कार्यरत/जेबादिवत त्या यक मिश्यारी, कार्यरत सभी सरकारी कमीचीरी एवं पत्थानारी/गिमिली पन्धानारी ज्याधनाती तर्यान, लोडे, तिमम आप्रि।

3.योजना में अंशदान : राज्य सरकार हाता निहारित किया जायेगा । (अभी निधारित नहीं इसा है)।

डोक्ल मार्वधा व्यालाभ

- सभी मेडीयन मुविधाओं का लाभा मिलेगा तरानुसार सम्बन्धित केरे-किया जायेगा। जैसे पेन्शनर हेत Ray. State Pensioners Concession Scheme, 2014 में तिर्शित द्विपामीं बो इस अधी योजना में मवर विषाजायेगा तरानुबार एभी वास्तियत । तैयमी मे संशोधन किया जायेगा।
- 5. <u>5 लाख तक</u> वेदालेन इलाग
- प्रति वर्ष 5.00 लाख तक वाइनान विशलेग - क्षिमिली फलोटर श्ताधार पर (Family Floater baris)।
- 6. इलाख छे जगर
- : उस्त 5.00 लाटव से अपर वा वर्च होता है तो (प्रतिवर्ष) हारपिटिली इनेशन की हिंपति भे. बहुप शम्मी बीमारियाँ इपे Catastrophic illness के मामलों में देयता।
- 7. फार्मिली पलोटट पूरे परिवाट (क्रियमानुसाट परिवाट की परिभाषा में आने वाले हिता सिंगल वाभिक बीमा पीमियम देना तथा वाधिक

रूप से परिवार के एक व्यक्ति पर मानाकि एक लाएन व्यय (केश्तेव) हुआ है तो परिवर के अन्य सदस्य रोष यं कला पा तक व्या लाम उस विशिष्ट वर्ष में हो सकते हैं।

8. Catastrophic illness

गम्भीर बीमारी जिसमें लम्बे सम्यत् क अस्पताल में रहने या ठीक होने में समय लगता से जैसे कैंपर लुका मिया, रुद्यपात आदि।

इलाज व्यहा ले H4,21

ः सूरपारी अ-प्पताल, अधिहा अस्पताल, पी पी पी हास्पीटल, रेपाल हास्पीटल (सूझ्न अधिकारी के सन्दर्भ करने पर)। इनमें केल लाम इलाज टोगा तथा कोई पुनर्भरण नहीं होगा।

(केंप्रलेप) \$D

10. शर् अनुसादित हास्पीरल भें इलाज (यनभरण होगा)

THAT ZHUITH HEATH (grave emergency) exceptional Circumstances भे ग्रें अपमारित (m-approved) में इतान ले प्रकेश जिसका RGHS Pistal पर बित प्रमुत्कारने पर पुनर्भता होगा।

11. मोइलान योजना मे श्रामिल नूही आया पुरुभरेण नहीं होगा

ऐले आइटम का विवरण पर RGHS वेबसाहर पर उपसब्ध व्यशमा अधिगा

मेन्ट की प्रक्रिया आन लॉ हत् ही पार्म अश्जाना ह

- उक्त बिन्दु 2 में शामिन प्री वर्ग के व्यक्ति/लाभोधी 10.4-21 से 30.4.21 de Website: www. rghs.gev.in पर तिथारित प्याम में आचितों स्टित एनरोलिं अन्द आवश्यम राप ये करवायेंगे। विशेष प्रिमिष्टियों में यर अवस्य जारे निक्षम अधिकारी लाउँ निकता है। नभी करते, खेतीन मार है। डक्त तेवसारट प्राज दिनों 10.4.21 को 1.30को त्मनेडपला गरी हैरे

13.31,5.到西 all Bullas (वाह हामीरल में वातानाहोग)

राज्य प्रावधार्म एवं बीमा विभाग इस योजना व्या नोडल आधिरिं होगा तथा दिनांड 31.5.21 तक (धार्म प्राप्न सेने पर) RGHS Card लाभाषि को डिलीवर होगा। बार्डनं. बेवसार पर अधिमूचित भी


- भूतिक आर जी एच एम 14. वार्ड वा अन्द्रपलक्षमा मिलपोत होने पर वार्ड नम्बर् के आधार इलाग लिया जा सकता है। राज्य खरमार अधिका वारेगी 15. हास्पीटलम् अधिकृत एवं यह स्वी www. righs. gov.in पर उपलब्ध व्यायी जायेगी हान्पीरलन, इप्पामा स्टोर्स, लेबोरेंद्रीज डाइग्नो हिट्य ब्रेन्स इमें पिंग केन्ड विना विभाग योजना की 16. योजना सार करने कियानिक्री हेत् विमृत निम्बल्पी र्नेपम् आस्डलान् गाउट लाहन, निमम, परिष्य, परिष्यः, स्पारीमाण जारी व्यरेगा (अभी जारी नहीं हुए है)। प्रिप्र आर्द इन नियमों भें पूर्व अलिलीवत 17. GF EAR AUT TREASURY
Rules of Etricat RPMF/RSMCS an स्थान पर RGHS मंशीकिन कर दिया जापा र तथा सब ्यरकारी व्यमचारी याज . वे-राग्र मेडीकल पान (RPMF) में अंशर्ग के स्यान पर डान नर् योगन् RG HS (राज गोर्तकेट हेल्य ह्याम् ) में जमय- यमम पट मिसिं दरों के अनुपार -> अभी तय नहीं हुआ है। SIPF विभाग नोयल एजेन विभाग स्वास TPR( शर्ड पार्टी एजेनी) बीमा एवं क्लेम हेन निषुक्त सरेगी तथा अपीलेट प्रशोरिश विमा विभाग का ACS/PS(F) होगा। 19. योजना व्या संचालन

टिपाणी :- उस्त योजना का यह केवल प्रारम्भिक आदेश है। अभी प्रभावी वर्तभाग निपमां में संशोधन होना है तथा गाइड साहत / तियमादि / प्रांच तालां की जूबी / अमान्य इलाज की जूबी जास होनी है। रितार्थात दिनांस 10. 4. 21 मे

प्रारम्भ व्यरमा व्यापा है पट्टी आश्रम करना बताया है पट्टी नेट पर उपलब्ध ही नहीं है

• योजना प्राथमिक अप से डीक ही लग रही है फिर भी सम्ब्राधियादेग / संशोधन / बीमा व्यवस्म / प्रीमियम आदि सम्बर्धी प्रादेश जामने माने के बाद ही प्राणे बोर्ट बापने या मन्य मपेक्षित व्यारविश किया जाना उचित होगा।

कि सी ट्रेसर



# State Insurance Provident Fund Department, Government of Rajasthan

### **Process Flow:**

The following process flow defines sequential step by step process for RGHS registration module for pensioners (AIS -Retired and RGHS 7. Each step has been also detailed out with sample screens, business validations and integrations with other applications. Below is the sequential flow:

- ❖ **Step 1**: Click on rghs.rajasthan.gov.in.
- ❖ Step 2: Home Page will appear
- ❖ Step 3: Click on Registration Tab
- ❖ Step 4: Redirected to SSO log in page (To Proceed Further Please Click on sso.rajasthan.gov.in)
- ❖ Step 5: Logging in Through SSO ID: Pensioner will log in through SSO.rajasthan.gov.in
- ❖ Step 6: Link for RGHS (Icon): Click on RGHS Icon.
- ❖ Step 7: Land on RGHS application showing categories of registration as:
  - Register as Serving Employee
  - Register as Pensioner
  - Register as Judicial Officer (Retired)
  - Register as Ex-Member of Rajasthan Legislative Assembly
  - Register as Family Pensioner

**❖** Step 8: User will select Pensioner

Continued...

# **Process Flow: (Continued)**

# **❖** Step 9: Registration on RGHS through Jan Aadhar:

- □Display of Jan Aadhar Family: User provides Jan Aadhar or enrollment number to display Jan Aadhar family associated to Jan Aadhar number.
  - o If Jan Aadhar number is "Not Available" RGHS portal redirects user to Jan Aadhar portal for creation of Jan Aadhar ID.
  - o If Jan Aadhar number is "Available" RGHS portal displays the Jan Aadhar Family along with the column for selection of pensioner.
- □ Identification/Selection of Pensioner: Limited to select only one government employee which will be having the right to define relationship.

### **□**Details of Pensioner:

Name	Category	PPO Number	Date of Joining (DoJ)	Date of Retirement (DoR)

- □Verification (verification from (verification from of PPO Number, DoJ and DoR)
  - a) If verified "Yes" then it will lead to next of step of registration
  - b) If verified "No" then a message will appear PPO No. or DoJ or DoR are incorrect, unable to Register

### □ Defining Relationship with respect to Government Employee:

- a) User will define his own family relationships to be covered under RGHS and can select the category.
- b) In case if spouse is Government Employee -category and Employee ID will be taken
- c) In case if spouse is Pensioner -category, PPO No., DoJ and DoR will be taken
- □Validations of relationships: Basis on the information provided by user, system will be able to identify dependents under family as per the following guidelines. Family definition is Annexed below
- **□** Declaration/Acceptance/Disclaimer:
- a) By registering, system will allow the member to register/validate.
- b) Without continuing the acceptance, system will not allow the member to register/validate.
- □ "Successfully Registered": Registration process will be completed by clicking on submit button".

# Family Definition (As per guidelines)


### RGHS 5b Retired AIS Officers

"Family" means pensioner's wife/husband, if wholly dependent upon the pensioner. Wife/ Husband will be regarded as wholly dependent upon the pensioner 'if she/he normally resides with the pensioner. In case the pensioner has son(s) or unmarried daughter(s) suffering from any disorder or disability of mind or is physically, crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living, he or she will be regarded as a member of family for the purpose of medical facility available under the Scheme.

### **❖ RGHS 7 Pensioners and family pensioners under RCS (Pension) Rules, 1996**

"Family" means pensioner's wife/husband, if wholly dependent upon the pensioner. Wife/ Husband will be regarded as wholly dependent upon the pensioner 'if she/he normally resides with the pensioner. In case the pensioner has son(s) or unmarried daughter(s) .suffering from any disorder or disability of mind or is physically, crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living, he or she will be regarded as a member of family for the purpose of medical facility available under the Scheme.

### **❖** Following Screen Shots are mentioned below for an ease:



**G2G APPS** 


555

G2C/G2B APPS

145


# **IDENTITIES**


2,11,51,532




Login

Forgot my Digital Identity (SSOID). Click Here










A Not secure | rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/Registration#

# Rajasthan Government Health Scheme

BACK TO SSO

LOGOUT

Do you have Janaadhar ID/Janaadhar Enrollment ID :- Oyes Ono








### JanAadhar Family Details(For Pensioner)


S.No.	Full Name	Relationship with Head of Family(HOF)	Gender	Date of Birth(DOB)	Member ID	Select Pensioner*
1	Surbhi Bansal	Self	Female	12/08/1972	79435404708	0
2	Udit Bansal	Son /Daughter	Male	29/06/2000	77563630327	0
3	Chahat Bansal	Son /Daughter	Female	13/12/1994	71622782853	0
4	Sunil Chand Bansal	Husband/wife	Male	10/06/1968	43542431103	0

For Addition/Deletion of family members CLICK HERE

CONTINUE



lncognito



2	Vishal	Son /Daughter	Male	01/01/2002	82912399660	0
3	Gopal	Husband/wife	Male	01/01/1976	25758772219	· ·
4	Pooja	Son /Daughter	Female	01/01/1995	56265007029	0
5	Deepak	Son /Daughter	Male	01/01/1992	66993428018	0
6	Jyoti	Son /Daughter	Female	01/01/1998	46904934547	0

For Addition/Deletion of family members, please Visit Janaadhar Portal.


0


00


21:32 09-04-2021 CONTINUE


### Please Select the Category of Employee and Provide Employee ID


S.No.	Name	ame Category Employee ID		
1	Gopal	Judicial Officers (Serving and Retired)	VERIFY	





























# Select Wholly Depende > Select Wholly Depende >


☆ lncognito

CONTINUE

#### RGHS Card Family: Eligible Member for RGHS (Category - 8)

S.No.	Name	Relation	
1	Udit Bansal	Self	
2	Surbhi Bansal	Spouse	

□I consent to use my Aadhar ID and declare that the above information submitted is true to the best of my knowledge.



Ę

# Thank You

#### राजस्थान सरकार



#### कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग) वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in

email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

क्रमांक- F1(250)/RGHS/Hosp. Emp./21-22/ フ5

दिनांक:- 13-04-2022



राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं आरजीएचएस में सूचीबद्ध अनुमोदित अस्पतालों द्वारा आरजीएचएस लामार्थियों को कैशलेस IPD/ Day-care व OPD उपचार प्रदान किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), जोधपुर एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के अस्पतालों से आरजीएचएस लामार्थियों को इन अस्पतालों से कैशलेस आईपीडी (IPD/Day - care) एवं ओपीडी (OPD) सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है।

आरजीएचएस लाभार्थियों द्वारा AIIMS जोधपुर एव दिल्ली के अन्तर्गत आईपीडी (IPD) सुविधा ली जाने पर लाभार्थी स्वयं की SSO ID से RGHS के Rimbursement के विकल्प को उपयोग कर दावा प्रस्तुत कर IPD/ Day-care उपचार में उनके द्वारा व्यय की गयी राशि का पुनर्भरण प्राप्त कर सकते है एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), जोधपुर एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली की प्रिस्क्रिप्शन पर समस्त सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं आरजीएचएस में अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर/ दवा स्टोर से आरजीएचएस ओपीडी के अन्तर्गत कैशलेस दवाईयां प्राप्त की जा सकेगी।

(शिप्रा विक्रम) परियोजना निदेशक (RGHS) वित्त भवन, जयपुर

क्रमांक— F1(250)/RGHS/Hosp. Emp./21-22/ प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू

- 1. समस्त आरजीएचएक लामार्थी।
- 2. समस्त सहकारी उपभोक्या भण्डार, राजस्थान।
- 3. समस्त निजी अनुमोदित फोर्च् स्टोर, राजस्थान।
- समस्त आरजीएचएस अनुमोदित निजी अस्पताल।

(शिप्रा विक्रम) परियोजना निदेशक (RGHS) वित्त भवन, जयपुर

### कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा डी-2/2023

दिनांक :- 23-02-2023

1.समस्त संयुक्त निदेशक

2.समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

3.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय

विषय :- राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत

रोग / आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- राजस्थान शिक्षक संघ(शेखावत) के पत्र दिनांक 06.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत रोग/आरोग्य प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 03 के अनुसार अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक में सम्मिलित हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस लागू हैं। अतः आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक, चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आदेश क्मांक प.16(25)एम.ई./ग्रुप-1/1994 दिनांक 18.05.2012 के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवकाश स्वीकृति हेतु मान्य है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार ।

भवदीय

लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा द्वी-2/2023

दिनांक :--

प्रतिलिपि :--

1. श्री श्रवण पुरोहित प्रदेश मंत्री राजस्थान शिक्षक संघ(शेखावत)।

लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by F In Kumar

Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3235130

#### राजस्थाम सरकार चिकित्सा शिक्षा (प्रय-1) विभाग

क्रमांक प.16(28)एमई/पुप-1/94 आवेश : :- जयपुर, विमान

इस विभाग के समसंख्यक आवेश दिनाक 28.06.94 एवं 08.01.1998 कम में विस्त विमान होस इस विभाग क समस्या । जन्म विभाग के अनुसरम में राजकीय विकित्सालयों को राजकीय विकित्सालयों जारी अधिस्थाना प्राम्बुर्वाच्या । जाना जिल निजी शिकिरपालयों को राजकीय कर्मचारियों के उपचार हेतु 

पूल आदेश में अंकित अन्य शर्ते यथावत रहेगी :--

किसी बहरिंग सेगी को अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र

ाडाकरसा प्रश्नशादाता (क्याक्यात्या) वारा 15 दिवस से अधिक अवधि के लिए किन्तु 30 दिवस तक का बिकित्सा प्रमाण-पत्र वरिष्ठ 15 हिंदिक से आवक जपाव के कि कि कि अधिकारी देने में समक्ष होगे।

3 30 दिवस से अधिक के लिए किन्तु 45 दिवस तक का चिकित्सा ग्रमाण-पत्र वरिष्ठ विषय विशेषड़ा (Senior faculty consultant) जो वरिष्ठ विशेषड़ा/पी०एम०ओ०/एसोसिएट प्रोफंसर के समान हों एवं कम संख्या 2 पर वर्णित अधिकारी यदि प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अस्पताल अधीक्षक एंच समकक्ष अधिकारी से प्रमाणित हो दे सकते है। इसमें मूल

45 दिवस से अधिक के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा ही दिया जावेगा

5 अधिकृत निजी चिकित्सालयों के consultant द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र उपशेक्त

आजा से

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

निजी खचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर। उप सचित्र मुख्य सचिव महोदय, राज., जयपुर।

नित्री लिख प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जिल्ला एवं स्वास्थ्य विभाग। निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।

6 7

निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग। वरिष्ठ निजी सहायक, शासन उप सचिव, विकित्सा शिक्षा विभाग। 8.

9. 10.

निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज्य अध्यपुर। विकत्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज्य अध्यपुर। विकत्सा एवं स्वास्थ्य केवार्थं राज्य अध्यपुर। प्रधानावार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। प्रधानायार्य राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर। 11. 12

आधिक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज जयपुर

ni Sottingic-Administration-tieskangstääksellesel

अधीकृत निजी विकित्सालय 13

शासन सहायक सचिव





## राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)

आपातकालीन परिस्थिति में गैर अनुमोदिन चिकित्सालय में ईलाज करवाये जाने पर

#### शपथ पत्र

	कार्मिक / पेंशनर का नाम) निवासी (पूर्ण पता)	जिला– जिला–
का	रहने वाला / वाली हूँ। तथा शपथ पूर्वक बयान	करता / करती हूँ कि:
	मै वर्तमान में (कार्मिक सेवारत होने की स्थिति पदपर कार्यरत हूँ। पर निवास व	तथा परिवार सहित स्थान हर रहा हूँ।
2.	मरीज का नाम सन्का गंभीर स्थिति में दिनांक	·
3.	(नाम चिकित्सालय)रोग रे मरीजरोग रे सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक था। मरीज आरजीएचएस अनुमोदित चिकित्सालय नही था सुविधा नहीं की जाती तो उसके जीवन को ख लिए आपातकालीन परिस्थिति में गैर अनुमोदिक	ने पीडित था और उसको तुरन्त चिकित्सा ज के निवास स्थान के नजदीक कोई ।। यदि मरीज को तुरन्त चिकित्सा वतरा हो सकता था। अतः जीवन रक्षा के
तथ्य पुनः कोः	रोक्त शपथ पत्र में उल्लेखित की गई समस्त र म छुपाया नही गया हैं। मै आरजीएचएस के नि र्भरण दावा राशि प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति ई भी तथ्य गलत पाये जाने पर भुगतान की गइ वा दी जावेंगी।	यमों एवं शर्तों के अनुसार पैकेंज दरों पर । प्रदान करता / करती हूँ। भविष्य में
		(शपथकर्ता के हस्ताक्षर) नाम पद स्थान मोबाईल नं

(शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।)